पंचदश माला, खंड 22, अंक 21

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2011
1 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 85
Dated 29 April 2014

(खण्ड 22 में अंक 21 से 24 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

नवीन चन्द्र खुल्बे
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2011 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2011/1933 (शक)]

अंक 21, गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2011/1 पौष, 1933 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-13
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित वापस किया गया विधेयक	13-15
प्राक्कलन समिति	
12वां प्रतिवेदन	15
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	15-16
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
27वां और 28वां प्रतिवेदन	16
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
23वां प्रतिवेदन	16
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	17
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
44वें से 48वां प्रतिवेदन	17-18
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
15वां प्रतिवेदन	18
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
9वां और 10वां प्रतिवेदन	18-19
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
18वां प्रतिवेदन	19
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
156वां प्रतिवेदन	19

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रफुल पटेल	20
(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'जूट क्षेत्र के विकास' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	22
कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव	20
सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित	
(एक) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011	21
(दो) लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011	159-90
(तीन) संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011 (नए भाग चौदह (ख) का अंत:स्थापन)	190-91
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु कोई योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	23-24
(दो) राजस्थान में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक और मध्य प्रदेश में अगार से उज्जैन तक रेल लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता	
श्री सज्जन वर्मा	24
(तीन) विद्युत संयंत्रों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण देने से पूर्व गैस आवंटन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति देने हेतु मानदंड सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पोन्नम प्रभाकर	24-25
(चार) महाराष्ट्र के वर्धा शहर में नागपुर-मुंबई राजमार्ग पर रेल उपरि पुल को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता	
श्री दत्ता मेघे	25-26

विषय		कॉलम
(पांच)	आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. क्रुपारानी किल्ली	26
(छह)	तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरै के बीच सप्ताह में दो बार ए.सी. दुरंतो एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन.एस.वी. चित्तन	27
(सात)	गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नर्मदा नदी पर विद्यमान गोल्डन ब्रिज के नीचे नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	27-28
(आठ)	बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोन नहर और नार्थ कोयल नहर के विस्तार का कार्य किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरि मांझी	28
(नौ)	देश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने हेतु एक समान नियम लागू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अशोक अर्गल	28-29
(दस)	झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिए जाने तथा उनकी सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	29
(ग्यारह)	कर्नाटक के बेलगाम में छावनी बोर्ड के नियंत्रणाधीन सड़कों को चौड़ा किए जाने और उनके रखरखाव हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश अंगड़ी	29-30
(बारह)	कटक और भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा संथाली भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री लक्ष्मण टुडु	30

विषय कॉलम

(तेरह) झारखंड में नक्सलवाद प्रभावित लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए एक व्यापक विकास योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री कामेश्वर बैठा 30-31

संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 (नए अनुच्छेद 43ख का अंत:स्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 31

श्री अर्जुन राम मेघवाल 31

डॉ. एम. तम्बिदुरई 37

श्री शरद पवार 37

खंड 59

पारित करने के लिए प्रस्ताव 131

लोकपाल विधेयक, 2011 — वापस लिया गया 158-59

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में कृषि संकट तथा किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं

श्री बसुदेव आचार्य 191-92

सदस्यों द्वारा निवेदन

पाकिस्तान से पलायन करके आने वाले हिन्दुओं के पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में 198-201

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2011/01 पौष, 1933 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मुझे सभा को हमारे एक पूर्व सदस्य श्री आर.एल. कुरील के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री आर.एल. कुरील वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

व्यवसाय से अधिवक्ता श्री कुरील इंटरनेशनल ज्युरिस्ट ऑर्गनाइजेशन की कार्यकारी समिति के सदस्य के साथ-साथ उसके शासी बोर्ड के भी सदस्य रहे। श्री कुरील ने भारत के उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में लगभग 30 वर्षों तक कार्य किया। उन्होंने समाज के निर्धन और जरूरतमंद वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई।

वैज्ञानिक सोच रखने वाले श्री कुरील ने अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने वाले यंत्र का आविष्कार किया था।

एक विद्वान व्यक्ति श्री कुरील ने कई पुस्तकें लिखी हैं।

श्री आर.एल. कुरील का निधन 72 वर्ष की आयु में दिनांक 4 नवम्बर, 2011 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : महोदया, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6028/15/11]

(3) (एक) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6029/15/11]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6030/15/11]

(5) (एक) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6031/15/11]

(6) (एक) पाश्चुर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पाश्चुर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पाश्चुर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6032/15/11]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज कंज्यूमर कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार), नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6033/15/11]

(2) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6034/15/11]

(3) सिविल सर्विसेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6035/15/11]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6036/15/11]

(2) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6037/15/11]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फिल्म डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6038/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : महोदया, मैं श्री एस. गांधीसेलवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6039/15/11]

(2) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6040/15/11]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 6041/15/11]

(ख) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन,

[श्री आर.पी.एन. सिंह]

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल.टी. 6042/15/11]

(2) (एक) पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6043/15/11]

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011 जो 4 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 796(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 जो 14 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 680(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6044/15/11]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 5 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 23 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (केन्द्रीय सरकार की) सामान्य नियम और प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011 जो 11 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6045/15/11]

(5) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2011 जो 22 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. एल-3/2/रीजन-जेन (संशोधन) 2011/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6046/15/11]

(6) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 की धारा 29 की उप-धारा (4) के अंतर्गत पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2011 जो 2 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.आ.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 6047/15/11]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6048/15/11]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन फार्मोकोपीआ कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मोकोपीआ कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6049/15/11]

(5) (एक) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6050/15/11]

(6) (एक) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपरेटरी डिजिसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला रामस्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपरेटरी डिजिसेस, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6051/15/11]

(7) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उनमें उल्लिखित अलग-अलग लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

क्र.सं.	संस्थानों का नाम	लेखा वर्ष
1	2	3
1.	आरएसटी, नागपुर	2009-10 और 2010-11
2.	सीएनसीआई, कोलकाता	2009-10 और 2010-11
3.	एमएनजेआईओ, हैदराबाद	2008-09 से 2010-11
4.	किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी, बंगलौर	2007-08 से 2010-11
5.	जीसीआरआई, अहमदाबाद	2007-08 से 2010-11
6.	बी.बी. कैंसर इंस्टिट्यूट, गुवाहाटी	2007-08 से 2010-11
7.	कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, इलाहाबाद	2007-08 से 2010-11
8.	कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, सेवा ग्राम, वर्धा (एमजी)	2010-11
9.	नॉर्थ-ईस्टर्न इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, शिलांग	2010-11

1	2	3
10.	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली	2010-11
11.	नेशनल अकादमी ऑफ मेडिकल साइंसेस, दिल्ली	2010-11
12.	नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन	2010-11
13.	पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़	2010-11
14.	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली	2010-11
15.	ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग, मैसूर	2010-11
16.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली	2010-11
17.	इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, मुम्बई	2010-11
18.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम	2010-11
19.	नेशनल पोपुलेशन स्टैबेलाइजेशन फंड	2010-11
20.	एलजीबी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर	2010-11
21.	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इम्फाल, मणिपुर	2010-11
22.	जिपमेर, पुदुचेरी	2010-11
23.	फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2010-11
24.	इंडियन फार्मोकोपीया कमीशन, गाजियाबाद	2010-11
25.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नैचुरोपैथी (सीसीआरवाईएन), नई दिल्ली	2010-11
26.	मोरारजीदेसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली	2010-11
27.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे	2010-11
28.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली	2010-11
29.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता	2010-11
30.	सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली	2010-11
31.	सेंट्रल मेडिसिन्स फार्मासियूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोहन	2010-11
32.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली	2010-11
33.	सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली	2010-11

1	2	3
34.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैंगलोर	2010-11
35.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर	2010-11
36.	इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर	2010-11
37.	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	2010-11
38.	इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली	2010-11
39.	एड्सप्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल प्रोजेक्ट (एपीएसी), चेन्नई	2010-11

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 6052/15/11]

(8) गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2011 जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6053/15/11]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित वापस किया गया विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 12 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन), संशोधन विधेयक, 2011 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) 'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 दिसम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 जिसे लोक सभा द्वारा 5 सितम्बर, 2011 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया, को निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित किया है:—

खंड 9

1. कि पृष्ठ 7 में, पंक्ति 18 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्

"(2) अकादमी यह करेगा।"

2. कि पृष्ठ 7 में, पंक्ति 21 में "नागरिकों" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

*सभा पटल पर रखा गया।

2007 का 5 "और केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 4 के खंड (ख) के परंतुक के अंतर्गत ऐसे आरक्षण का उपबंध करने के लिए कोई छूट देना इस अकादमी पर लागू नहीं होगा।"

इसलिए मैं राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंध के अनुसरण में उक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ वापस कर रहा हूं कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति इस सभा को सूचित की जाये।'

अध्यक्ष महोदया, मैं 21 दिसम्बर, 2011 को राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में वापस किए गए वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2011 को सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्राक्कलन समिति

12वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण गोवा) : महोदया, मैं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित 'खेल नीति, अवसंरचना और प्रशिक्षण सुविधाएं' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : महोदया, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

27वां और 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राव इन्द्रजीत सिंह (गुड़गांव) : मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में समिति के 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.05¼ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

23वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर) : मैं 'संप्रेषण और वितरण प्रणालियां तथा नेटवर्क' के बारे में ऊर्जा संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलोर दक्षिण) : मैं प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

44वें से 48वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा (हजारीबाग) : मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही संबंधी 46वां प्रतिवेदन।

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(5) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.06½ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित "अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010" के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

9वां और 10वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'पेट्रोलियम उत्पादों की कम उगाही की चुनौतियां' के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

[श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली]

(2) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2011-2012)' के बारे में 8वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.07½ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

18वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदया, मैं 'अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' – उसके अधीन बनाए गए नियम का कार्यान्वयन, विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (पंद्रहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07¾ बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

156वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात) : मैं, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन के संबंध में 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 156वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों के व्यावसायीकरण के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : महोदया, मैं माननीय अध्यक्ष लोक सभा द्वारा दिनांक 1.9.2004 के संसदीय समाचार भाग-दो के माध्यम से जारी निदेश के अनुसरण में लोक उद्यम विभाग भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित सीपीएसई के बोर्डों का व्यावसायीकरण के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 198वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती पनबाका लक्ष्मी – उपस्थित नहीं।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 33वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 21 दिसंबर, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है कि:

"कि यह सभा दिनांक 21 दिसंबर, 2011 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6054/15/11

पूर्वाह्न 11.10 बजे

सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता प्रधान खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:—

"कि जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता प्रधान खाद्य की सुलभता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. के.वी. थॉमस : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, उसे सुन लिया जाये।...*(व्यवधान)*

श्री आर.के. सिंह पटेल (बांदा) : महोदया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू कराइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती पनबाका लक्ष्मी।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पूर्वाह्न 11.10½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य — *जारी*

(दो) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'जूट क्षेत्र के विकास' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी) : महोदया, लोक सभा बुलेटिन भाग-II, दिनांक 1 सितंबर, 2004 में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में, मैं 'पटसन क्षेत्र का विकास' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपने 16वें प्रतिपेदन की जांच की और 8 मार्च, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। समिति की सिफारिश का मुख्य जोर 'पटसन क्षेत्र के विकास' के संबंध में है। इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की वस्त्र मंत्रालय में जांच की गयी है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी एक विवरण श्रम संबंधी स्थायी समिति को 10 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को सही मायने में क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं इसके साथ इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति भी सभा पटल पर रखती हूं।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामले को सभा पटल पर रखा जाएगा। वे माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 6055/15/11

**सभा पटल पर रखे गाने गये।

और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं वे व्यक्तिगत रूप से पर्चियों को 20 मिनट के भीतर सभा पटल पर दे सकते हैं केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित सभा के भीतर सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हो गई हैं। अन्य को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) देश में सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता दिए जाने हेतु कोई योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : मैं सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में सिर पर मैला ढोने वालों की दुर्दस्य की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी।

वास्तव में यह शर्म की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 63 वर्षों के पश्चात् भी कुछ व्यक्ति अपने हाथों से मल की सफाई करके आजीविका अर्जित करते हैं। गत वर्षों में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए पुस्तकें लिखी गई हैं, समितियों और आयोगों के गठन किये गये हैं, कानून बनाए गए हैं और करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। पर देश में मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है।

अनेक राज्य सरकारों में साक्ष्यों के बावजूद मैला ढोने की प्रथा जारी रहने के बारे में न्यायालय में खंडन किया है।

मैला ढोने वाले व्यक्तियों में थोड़े से समय में ही त्वचा रोगों के होने का खतरा होता है। इस देश में मैला ढोने वाले कुछ व्यक्तियों की संख्या में से 95 प्रतिशत महिलाएं हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं वहां पर 13 लाख झाड़ू लगाने वाले और मैला ढोने वाले व्यक्ति हैं। उन व्यक्तियों को दस्ताने और मुखौटे प्रदान करके उनका पुनर्वास करने की तत्काल आवश्यकता है जिनके अभाव में वे श्वांस रोगों, आन्त्र शोध विशेषकर त्वचा रोगों के शिकार बनेंगे।

यह बड़े दु:ख की बात है कि इस कार्य में संलग्न समुदाय को नीचा समझा जाता है और समाज से अलग थलग रखा जाता है। यद्यपि वर्ष 1993 में शुष्क शौचालय अधिनियम बनाया गया था अभी भी आधे राज्यों ने इसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया है। अब मैला ढोने वाले कार्य की आउटसोर्सिंग की गई है। परंतु जो लोग अब भी इस कार्य को जारी रखे हुए हैं उन्हें वरिष्ठ नागरिक पेंशन जैसी कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पेशे के कारण होने वाले रोगों की मार झेल रहे हैं। वे अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं और निरंतर रोगों के खतरों का सामना कर रहे हैं तथा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं। स्वसंचालित मैला हटाने के लागू हो जाने के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। सरकार को इस मामले में तत्काल उपचारात्मक उपाय करने चाहिए।

विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिए जाने वाली योजनाओं की तरह सफाई कर्मचारियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना तत्काल लागू की जानी चाहिए।

(दो) राजस्थान में रामगंज मंडी से झालावाड़ तक और मध्य प्रदेश में अगार से उज्जैन तक रेल लाइनें बिछाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन वर्मा (देवास) : वर्ष 2009 में बजट भाषण में जोर देकर कहा गया था कि जो क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है एवं विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उन क्षेत्रों में सबसे पहले बिना लाभ-हानि के आधार पर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। मध्य प्रदेश में ऐसे दो संसदीय क्षेत्र – देवास, शाजापुर एवं उज्जैन जोकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र हैं एवं विकास की दिशा में पिछड़े हुए हैं, यहां पर विगत वर्षों में तत्कालीन रेलमंत्री ने एक नई रेलवे लाइन रामगंज मंडी से झालावाड़ होते हुए आगर एवं उज्जैन तक बिछाने के सर्वे कार्य का भूमि पूजन एक बड़े समारोह में किया था। इस नई रेलवे लाइन का सर्वे कार्य पूर्ण होकर इसकी डी.पी.आर. भी बन चुकी है। लेकिन आज तक इस रेल लाइन की कार्य योजना को प्लानिंग कमीशन में स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया है। जब-जब इस रेलवे लाइन के बारे में माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखा गया एवं लोक सभा में प्रश्न उठाया गया तो जबाव मिला कि ये रेलवे लाइन घाटे की है, नहीं बनाई जा सकती है। महामहिम राष्ट्रपति जी एवं रेल मंत्री जी के कहे हुए शब्द कहीं मिथ्या होकर न रह जाएं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र देवास की इस महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति प्लानिंग कमीशन से करवाकर 2012-2013 के बजट में सम्मिलित किया जाए।

(तीन) विद्युत संयंत्रों को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) से ऋण देने से पूर्व गैस आवंटन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति देने हेतु मानदंड सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं सम्माननीय सभा का ध्यान

विद्युत वित्त निगम द्वारा विद्युत संयंत्रों को दिए गए ऋण के महत्वपूर्ण मामले के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा जो कि ऐसे विद्युत संयंत्रों को निर्माण से पूर्व गैस आवंटन प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए हैं।

विद्युत संयंत्रों को गैस आवंटन की आवश्यकता होती है। हाल ही में उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह ने यह मानदंड अपनाया है कि गैस केवल चालू परियोजनाओं को आवंटित की जानी चाहिए। परंतु यह स्पष्ट है कि निजी कंपनियां आरंभिक चरणों में बिना किसी गैस के आवंटन के विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहे हैं और विद्युत वित्त निगम से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। बाद में निजी कंपनियां इस बात पर बल देती हैं कि उन्हें गैस आवंटन की आवश्यकता है क्योंकि वे पहले ही विद्युत संयंत्र स्थापित कर चुकी हैं और विद्युत वित्त निगम से ऋण ले चुके हैं और यदि विद्युत संयंत्रों को बंद कर दिया जाता है तो विद्युत वित्त निगम को ऋण की राशि चुकाना उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। पिछले एक दशक के दौरान, अनेक विद्युत संयंत्रों विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करमीनगर में 2100 मे.वा. गैस आधारित कंबाइन्ड साइकल पावर प्लांट की नेडुनूर परियोजना को गैस आवंटित नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया था। जिसके कारण पता नहीं चल सके। मैंने इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को अभ्यावेदन दिया है। इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि पिछले एक दशक के दौरान, अनेक निजी कंपनियों ने विद्युत संयंत्रों का निर्माण किया है और अन्य प्रयोजनों हेतु इसे विभिन्न राज्यों को बेचकर भारी राशि अर्जित की है जोकि वास्तव में राष्ट्र हित में नहीं है। विद्युत वित्त निगम को विद्युत संयंत्र के बंद होने के कगार पर होने के आधार पर ऋण देकर भारी घाटा उठाना पड़ सकता है।

इस संबंध में, मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने देश के हित की रक्षा करने के लिए विद्युत वित्त निगम के माध्यम से सरकारी और निजी विद्युत संयंत्रों द्वारा ऋण लेने से पूर्व गैस आवंटन प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने वाले मानदंड को सम्मिलित और सुनिश्चित करें।

(चार) महाराष्ट्र के वर्धा शहर में नागपुर-मुंबई राजमार्ग पर रेल उपरि पुल को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (वर्धा) : महोदया, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र वर्धा शहर में जो रेलवे का पुराना पुल है उसे चौड़ा करने की सख्त आवश्यकता है।

मेरे चुनाव क्षेत्र वर्धा शहर रेलवे स्टेशन के फ्लाई ओवर को चौड़ा करने की मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नागपुर-मुम्बई हाई-वे पर यह रेलवे का पुल है, जिसके नीचे से रेल गाड़ियां जाती हैं। किन्तु रेलवे के पुल की चौड़ाई कम होने के बावजूद ट्रैफिक का जाम होना और दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। जिस कारण लोगों में असंतोष है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह वर्धा शहर की इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाएं और पुल की चौड़ाई का कार्य शीघ्रता से शुरू करें।

(पांच) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिले के किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. क्रुपारानी किल्ली (श्रीकाकुलम) : वम्सधार, बहुदा, महेन्द्रातनया और नागावली नाम से चार अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं जिनका उद्गम ओडिशा से होता है और वे आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां उत्तरी आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में सिंचाई का मुख्य स्रोत हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच बहुत छोटे से अंतर्राज्यीय विवाद के कारण आंध्र प्रदेश के जिले नदी के पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और वे पिछड़े जिले बने हुए हैं। सूखे और बेरोजगारी के कारण अधिकांश किसान और कृषि श्रमिक देश के अन्य भागों में पलायन कर रहे हैं। बहुदा, महेंदातनया और नागावली नदियों के निकट स्थित लगभग 20,000 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। केवल वम्सधारा नदी पर लंबित स्टेट-II वर्क्स से 1.2 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच उपर्युक्त सभी चारों नदियों से संबंधित विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है ताकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों के किसान लाभान्वित हो सकें।

अत:, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह कृपया ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय जल विवादों पर यथाशीघ्र ध्यान दें और किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लाभार्थ इन्हें हल करें।

(छह) तमिलनाडु में चेन्नई और मदुरै के बीच सप्ताह में दो बार ए.सी. दुरंतो एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : रेल मंत्री ने वर्ष 2011-12 का रेल बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में (बजट भाषण पैरा संख्या 34) घोषणा की कि मदुरै और चेन्नै के बीच एक एक द्वि-साप्ताहिक वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस चलाई जाएगी। मदुरै और चेन्नै अत्यधिक व्यस्त यातायात वाला रेलवे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यात्रियों को लंबी अवधि तक महीनों आरक्षण नहीं मिलता है। चूंकि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में बस भाड़ा में भारी बढ़ोतरी की है रेलवे जनसाधारण के लिए परिवहन का सस्ता माध्यम है। मदुरै और चेन्नै के बीच रेलगाड़ियों की आवृत्ति बढ़ाना तर्क संगत है।

ओमनी बस ऑपरेटर्स उनकी बसों में यात्रा करने वाले लोगों से टिकटों का मनमाना दर वसूल रहे हैं तथा अत्यधिक धन कमा रहे हैं।

रेल मंत्री द्वारा मदुरै और चेन्नै के बीच द्वि-सप्ताहिक वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस शुरू करने के लिए सभा में घोषणा किए गए 10 माह से अधिक समय बीच चुका है लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए मदुरै और चेन्नै के बीच द्वि-साप्ताहिक वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस तत्काल शुरू की जाये।

(सात) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नर्मदा नदी पर विद्यमान गोल्डन ब्रिज के नीचे नए पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत अंकलेश्वर एवं दहेज क्षेत्र में देश एवं विदेश के कई बड़े-बड़े उद्योग कार्यरत है जिसमें काम करने वाले कामगार हजारों की संख्या में नर्मदा नदी पर अंग्रेजों के जमाने से बने गोल्डन ब्रिज नामक पुल से अपने छोटे चार पहिए एवं दो पहिए के वाहनों से गुजरते हैं। पुल पर सुबह एवं शाम अत्यंत जाम हो जाने के कारण उद्योगों में काम करने वाले अधिकारीगण एवं कामगारों को अपने कार्यस्थल में पहुंचने में अक्सर देरी हो जाती है। इसी पुल से सूरत जाने वाले छोटे वाहनों को जाम में फंस जाने पर काफी दिक्कत होती है। इस पुल के नीचे एक और पुल बनाए जाने की संभावना है। अगर गोल्डन ब्रिज के नीचे एक और पुल बन जाए तो आने वाले समय में होने वाली भीषण दिक्कत का सामना करने में लोग सक्षम होंगे। यह सत्य है कि आने वाले समय पर इस पुल पर यातायात बढ़ेगा और भीषण जाम की आशंका है, अच्छा होगा कि आने वाली समस्या का निराकरण समय से पहले कर लें।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में नर्मदा नदी पर बने गोल्डन ब्रिज के नीचे एक और पुल बनाया जाए।

(आठ) बिहार के गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोन नहर और नॉर्थ कोयल नहर के विस्तार का कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि मांझी (गया) : मैं सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र गया, बिहार की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र गया से सटे पश्चिम क्षेत्र औरंगाबाद जिला में सोन नहर एवं उत्तरी कोयल नहर से सिंचाई होती है जबकि गया में सिंचाई की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है और इसके कारण अनेकों एकड़ भूमि सिंचाई के अभाव में बंजर पड़ी हुई है।

मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी से मांग करता हूं कि उपरोक्त दोनों नहरों का विस्तार किया जाए और गया जिला के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए। इन नहरों के विस्तार से सैकड़ों किसानों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

(नौ) देश में शस्त्र लाइसेंस जारी करने हेतु एक समान नियम लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : देश के नागरिक आत्म रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करते हैं। लाइसेंस लेने से पहले थाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं शासन की अनुमति मिलने पर शस्त्र लाइसेंस बनता है। लेकिन आज देश में भिन्न शस्त्र लाइसेंस नियम लागू हैं जिसके तहत एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों को प्राप्त लाइसेंस संपूर्ण भारत में वैध है जबकि आम लोगों को प्राप्त शस्त्र लाइसेंस की वैधता राज्य की सीमाओं तक ही सीमित है जिससे आम लोगों को इस नियम से परेशानी होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि संपूर्ण देश में सभी लोगों के

लिए समान शस्त्र लाइसेंस नियम लागू करे एवं शस्त्र लाइसेंस की वैधता सभी लागों के लिए संपूर्ण भारत में लागू करे।

(दस) झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाओं को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिए जाने तथा उनकी सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : झारखंड राज्य के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की संख्या लगभग 30 हजार से अधिक है जो ग्रामीण क्षेत्र समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों के भविष्य के निर्माण हेतु शिक्षा एवं देख रेख का कार्य करती है। इतना ही नहीं, ये जनगणना एवं स्वास्थ्य संबंधी कई सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेती है। इनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि इनका मानदेय सरकार द्वारा प्रदत्त राशि एवं न्यूनतम मजदूरी के बराबर भी नहीं है। इनके द्वारा इस संदर्भ में विभिन्न स्तर पर विभिन्न संगठनों द्वारा सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने हेतु आंदोलन एवं मांग की जाती रही है।

अत: भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि इन सेविकाओं/सहायिकाओं को सरकार द्वारा कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाए एवं इन्हें सरकारी कर्मचारी के रूप में स्थायी नियुक्ति की जाए।

(ग्यारह) कर्नाटक के बेलगाम में छावनी बोर्ड के नियंत्रणाधीन सड़कों को चौड़ा किए जाने और उनके रखरखाव हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश अंगड़ी (बेलगाम) : बेलगाम को कर्नाटक की दूसरी राजधानी और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ नगर समझा जाता है। सड़कों का निर्माण अथवा इसमें सुधार आदि जैसी विकास की गतिविधियों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। लेकिन छावनी बोर्ड सैन्य अभियांत्रिकी सेवाओं के नियंत्रणाधीन नगर की कुछ सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग (एचएच-4ए) को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें और छावनी बोर्ड की नियंत्रणाधीन नगर की सड़कों की भी मरम्मत की आवश्यकता है। संकरी सड़कें और वाहनों के आवागमन में वृद्धि के कारण खतरनाक दुर्घटनाएं हो रही हैं। महादेव मंदिर, बेलगाम के निकट कागल अस्पताल के सामने की सड़कें और जनरल थिमैया रोड सर्वाधिक व्यस्त सड़क हैं जो तिलकवाड़ी के व्यस्त स्थान को जोड़ता है, भयानक स्थिति में है और इस पर यात्रा करना एक दु:स्वप्न है।

बेलगाम छावनी बोर्ड को अपने नियंत्रणाधीन आने वाली सड़कों का रखरखाव करना चाहिए। तथापि यह ज्ञात हुआ है कि इन सड़कों का रखरखाव केवल बोर्ड द्वारा ही किया जा सकता है यदि उन्हें इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि/विशेष अनुदान प्रदान किया जाए।

अत: मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह बेलगाम के लोगों के हित में अपने नियंत्रणाधीन सड़कों को चौड़ा करने/रखरखाव करने हेतु बेलगाम छावनी बोर्ड को अतिरिक्त धनराशि/विशेष अनुदान आवंटित किया जाये।

(बारह) कटक ओर भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा संथाली भाषा में कार्यक्रम का प्रसारण किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण टुडु (मयूरभंज) : ओडिशा के मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, बालासोर, खुर्दा, नाल्को और भुवनेश्वर जिलों में संथाली भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। संथाली भाषा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के आस-पास के क्षेत्रों के लोगों को संथाली भाषा में प्रसारित कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन कटक और भुवनेश्वर के दूरदर्शन केन्द्रों से संथाली भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा है। अत: अधिकांश लोग ग्रामीण विकास और जनजातीय विकास से जुड़ी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं क्योंकि वे भारत सरकार या ओडिशा सरकार द्वारा प्रायोजित उपरोक्त योजनाओं और कार्यक्रमों को नहीं समझ रहे हैं और उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिल रही है। आवश्यक जागरूकता और जानकारी संथाली भाषा जानने वाले लोगों में पैदा नहीं की जाती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कटक और भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्रों को संथाली भाषा में मनोरंजन कार्यक्रम तथा आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु कुछ समय का प्रसारण करने के लिए निर्देश दे ताकि पिछड़े और आदिवासी समुदाय राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

(तेरह) झारखंड में नक्सलवाद प्रभावित लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए एक व्यापक विकास योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : मैं नक्सल प्रभावित झारखंड राज्य के नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए विभिन्न लाभकारी योजनाओं को लागू करने हेतु मांग करता हूं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये योजनाएं अविलंब लागू की जाएं जिससे इन लोगों को देश की मुख्य

[श्री कामेश्वर बैठा]

धारा से जोड़ा जा सके तथा नक्सल की समस्या से मुक्ति पाया जा सके।

नक्सलियों को कैसे मुख्यधारा में लाया जाये, सरकार को इस बिन्दु पर अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

अत: सरकार का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट करते हुए यह मांग करता हूं।

पूर्वाह्न 11.11½ बजे

संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009

(नए अनुच्छेद 43ख का अंत:स्थापन) – *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद संख्या 25 पर चर्चा करेंगे, श्री अर्जुन राम मेघवाल।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : अध्यक्ष महोदया, हम बोलें क्या? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ऐसा है, मैं आप लोगों को बोलने के लिए समय दूंगी। आप ज़रा सा यह बिल हो जाने दीजिए। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। मैं समय दूंगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कांस्टीट्यूशनल अमैंडमैंट बिल पर बोलने का मौका दिया जो सहकारी समितियों से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदया, यह बिल लोक सभा में 30 नवंबर, 2009 को इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया। स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के अनुसार यह संशोधन लाया गया है। संशोधन के अनुसार संविधान के भाग चार में संशोधन किया गया है जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल 243 से लेकर आगे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात इसमें कही गई है, यह संविधान की सातवीं अनुसूची में सम्मिलित है और राज्य सूची की प्रविष्टि 32 पर इसका अंकन किया गया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस देश में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ढांचा है, वह एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर का है, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति आती है, सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आते है, एपैक्स बैंक्स आते हैं। दूसरा है लॉंग टर्म स्ट्रक्चर में, जिसमें प्राइमरी लैन्ड डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं, स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक्स आते हैं और एक डेयरी से संबंधित ढांचा है जिसमें मिल्क की कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं, मिल्क यूनियन्स आती हैं और फिर मिल्क फैडरेशन आता है। एक फर्टिलाइजर से संबंधित ढांचा है। इसमें भी कोऑपरेटिव सैक्टर का बहुत बड़ा तंत्र है। फर्टिलाइजर सैक्टर में मार्केटिंग सैक्टर है, तहसील लैवल पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं और स्टेट लैवल पर भी, जैसे मैं राजस्थान से आता हूं तो वहां राजफैड है, ऐसी ही अन्य राज्यों में एजेंसियां हैं जो सपोर्ट प्राइस को देखती हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन आ रहा है, यह तो एक वैलकम स्टैप है, लेकिन जो सहकारिता आंदोलन था, उस आंदोलन में एक मूल मंत्र था – "एक सबके लिए और सब एक के लिए"। यह मूल मंत्र सहकारिता का था। इस मूल मंत्र को छोड़कर कुछ चीज़ें इस अमैंडमैंड में लाई गई हैं। सहकारिता आन्दोलन का एक और मूल मंत्र था कि बिचौलियों से छुटकारा दिलाने के लिए सहकारी आंदोलन की शुरूआत हुई थी। कोई गांव का आदमी लोन लेने जाता था तो किसी साहूकार के पास जाना पड़ता था। तब यह सिस्टम बना कि क्रैडिट फैसिलिटी उस गांव के आदमी को कैसे मिले। तो जीएसएस की स्थापना हुई। उसमें शार्ट टर्म लोन और लॉंग टर्म लोन देने की बात आई, कोऑपरेटिव के माध्यम से लोन देने की बात आई। यह स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। यह जो अमैंडमैंट आ रहा है, इसमें मुख्य बात यह है कि बोर्ड छ: महीने से ज्यादा सस्पैन्ड नहीं रहेगा।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम आपकी बात इत्मीनान से सुनेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए। सदन भी सुनेगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह एक मुख्य बात इसमें आयी है कि बोर्ड छः महीने से ज्यादा सस्पैंड नहीं रहेगा। यह एक वैलकम स्टैप है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, हम लोगों की बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम सुनेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : राज्य सरकारों को पैनल्टी लगाने का इसमें जिक्र किया गया है। बोर्ड की एक्सपायरी से पहले ही चुनाव करा लिए जाएंगे। यह बात इसमें कही गई है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : महोदया, हम खड़े हैं, पहले हमारी बात सुन ली जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर पर खड़ा हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : किस नियम पर है? नियम बताइए!

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हम आपकी बात पूरे इतमीनान से सुन लेंगे। बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : इस डिबेट में दो घंटे लगेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : नहीं, दो घंटे नहीं लगेंगे। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.15 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एनपीए बहुत बढ़ा है।...*(व्यवधान)* नॉन परफार्मिंग एसैट्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है, शोर्ट टर्म का तो एनपीए कम हुआ है, लेकिन लॉंग टर्म का एनपीए कम नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)* लॉंग टर्म का एनपीए कम नहीं होने का कारण लॉंग टर्म लोन देने की सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है। इस संशोधन में इस तंत्र को ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसका हम विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं जिक्र करना चाहता हूं, कि हाउस को आर्डर में कीजिए मैं बोलना चाहता हूं।... *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.16 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष जी, बिल का जो स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट एण्ड रिजन्स लिखा हुआ है, उसके पैरा तीन में यह उल्लेख है कि हम इस कोऑपरेटिव सोसायटीज के सिस्टम को डेमोक्रेटिक करेंगे।...*(व्यवधान)* हम इस कोऑपरेटिव सोसायटीज के सिस्टम को प्रोफेशनल करेंगे, हम कोऑपरेटिव सोसायटीज के सिस्टम को आटोनोमस करेंगे और हम इस कोऑपरेटिव सोसायटी के सिस्टम को इकोनोमिकली साउंड करेंगे।...*(व्यवधान)* ये चार मूल उद्देश्य इस बिल में कहे गए हैं।...*(व्यवधान)* लेकिन इनके सबके मूल में जो उद्देश्य हैं, वह अभी भी गायब हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति नाइन्टिज के दशक में बनी थी, उसने भी कुछ सिफारिशें कीं थीं।...*(व्यवधान)* उसके बाद राज्यों में सहकारी मंत्रियों के लगातार कोऑपरेटिव्ज के सम्मेलन होते रहे, उनमें भी बहुत अच्छी सिफारिशें आयीं और उसके बाद

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अर्जुन राम मेघवाल]

बैद्यनाथ समिति बनी, उसने भी कहा कि क्रेडिट स्ट्रक्चर इस देश में कैसा होना चाहिए।...*(व्यवधान)* उन सारी सिफारिशों का इसमें समावेश नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न प्रान्तों के सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में जो विचार आया था, वह यह था:–

[अनुवाद]

"संविधान में संशोधन करने की एक पुरजोर आवश्यकता महसूस की गई है ताकि सहकारी समितियों को बाहर के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके और उनके स्वायत्तशासी संगठनात्मक ढांचे और उनकी लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली को भी सुनिश्चित किया जा सके।"

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.19 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आए और फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यह उद्देश्य इस बिल का था। लेकिन इस बिल में यह बात गायब है कि लागत मूल्य पर संसाधन उपलब्ध कैसे होंगे? बिचौलियों का चक्कर कैसे समाप्त होगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 21 मैम्बर का कैप लगाया गया है, यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* पांच साल का पीरियड किया गया है। एक सीट एससी और एसटी की की गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इतनी लंबी बात मत बोलिए। अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मेरा अनुरोध है कि एक सीट एससी और एक सीट एसटी की करें। एक ही सीट है, जिसमें उसको वोट का अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाए। हो गया और कितनी लंबी बात बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं यह कहना चाहता हूं कि लोन का जो स्ट्रक्चर है, वह नाबार्ड की शर्तों के अनुसार हो तथा इसकी पालना सुनिश्चित करने के प्रावधान इस अधिनियम में हो।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आपका भाषण हो गया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदया, सर्वप्रथम मैं प्रस्तावित विधेयक का इस तरह से पुरजोर समर्थन करने के लिए इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों को देश में सहकारी क्षेत्र जोकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के हितों को ध्यान में रखने हेतु एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में उभरा है को सुदृढ़ करने में उनकी गहरी दिलचस्पी और चिंता के लिए आभार व्यक्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने देश के सहकारी समितियों के प्रबंधन में सुधार करने हेतु बहुत ही उपयोगी सुझाव दिया है।...*(व्यवधान)*

महोदया, जैसाकि मैंने कल अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि सहकारी आंदोलन ने अर्थव्यवस्था के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किया है।...*(व्यवधान)*

महोदया, आपकी अनुमति से क्या मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख दूं?

अध्यक्ष महोदया : जी, हां।

श्री शरद पवार : ** लगभग छह लाख से अधिक सहकारी समितियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। केवल लगभग 600 बहु राज्य सहकारी समितियां बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश में पंजीकृत हैं जोकि एक केन्द्रीय अधिनियम है। इसलिए राज्यों को मुख्य रूप से देश में सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाना होगा। भारत सरकार इस प्रयास में राज्यों का मार्ग-निर्देशन करने और सहायता करने के लिये सदैव तैयार रहेगी।

विश्व में सहकारी आंदोलन 200 वर्षों से अधिक पुराना है। हमारे देश में भी सहकारी कार्य प्रणाली सदियों से हमारे जीवन का अंग रही है और शताब्दियों से हमारे जीवन का भाग रही है। तथापि, सहकारी ऋण समितियां औपचारिक रूप से तब अस्तित्व में आयीं जब सहकारी समिति अधिनियम, 1904 को पारित किया गया। सबसे पहले असम और तमिलनाडु राज्यों ने कमजोर तबके के लोगों को ऋण प्रदान करने हेतु सहकारी बैंक की स्थापना की। राजाहौली ग्रामीण बैंक जोरहाट, जोरहाट कॉपरेटिव टाउन बैंक और छड़ीगांव विलेज बैंक, असम में जोरहाट और तमिलनाडु में तिरूर प्राइमरी एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1904 में की गई। इसके बाद वर्ष 1905 में मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया।

सहकारी आंदोलन को आगे ले जाने तथा सहकारी समितियों हेतु एक भावी दिशा सुझाने के लिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर एक आदर्श सहकारी समिति अधिनियम को वर्ष 1990 में अंतिम रूप दिया गया। तथापि, चूंकि सहकारिता राज्य का विषय है, आदर्श सहकारी अधिनियम की तर्ज पर राज्य सहकारी अधिनियमों में संशोधन करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तदंतर, आत्म निर्भर सहकारी समितियों हेतु समान्तर सहकारी विधान का उन सहकारी समितियों के प्रबंधन हेतु प्रस्ताव रखा गया है जिसे सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। अब तक केवल 9 राज्यों ने इस समान्तर सहकारी अधिनियम को अधिनियमित किया है जो सहकारी समितियों की अधिक स्वायत्तशासी और लोकतांत्रिक कार्य-प्रणाली का उपबंध करता है।

संसद ने भी सहकारी सोसाइटियों को न केवल एक राज्य तक सीमित रखकर बल्कि एक से अधिक राज्यों में सदस्यों के हित में सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बढ़ावा देने के लिए बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम को अधिनियमित किया है। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण और स्वायत्तशासी कार्य-प्रणाली हेतु अपने प्रगतिशील उपबंध के साथ बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम इफ्को और कृभको जैसे सफल राष्ट्रीय एकक सृजित करने में सहायता प्रदान की है।

इफ्को का 3 नवंबर, 1967 को एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण किया गया। यह समिति मुख्य तौर पर उर्वरकों के उत्पादन और वितरण में कार्यरत है। यह एक अनूठा उद्यम है जिसमें देश

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री शरद पवार]

के किसानों ने अपने सहकारी समितियों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने के लिये इस नए संस्थान की स्थापना की है। इफ्को से संबद्ध सहकारी समितियों की संख्या वर्ष 1967 में 57 से इस समय बढ़कर 39,824 हो गई है। इफ्को की यूरिया और एनपीके (डीएपी) की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 3.69 मिलियन टन हो गई है जो 1.71 मिलियन टन के समतुल्य है। इसके अंतिरिक्त, फसल उत्पादन के लिए किसानों को 158 किसान सेवा केन्द्रों (एफएससी) की शृंखला के माध्यम से कृषि में प्रयुक्त आवश्यक सामग्री मुहैया कराई जाती है। किसानों के कल्याण के लिए इफ्को ने अनेक संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित किया है।

कृभको ने गुजरात के हजीरा में यूरिया, अमोनिया और जैव-उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक उर्वरक एकक की स्थापना की है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी, 1982 को इसका शिलान्यास किया था यूरिया और अमोनिया की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमश: 1.729 मिलियन मीट्रिक टन तथा 1.003 मिलियन मीट्रिक टन है। गैस उर्वरक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 250 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। विभिन्न राज्यों में 10 बीज प्रसंस्करण संयंत्र भी कार्यरत हैं।

गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लि. (जीएसएमएमएफ) की स्थापना 1973 में की गई थी। यह भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन संगठन है जिसमें 15712 ग्राम दुग्ध सहकारी समितियों से प्रतिदिन लगभग 12 मिलियन लीटर (व्यस्त अवधि के दौरान) डेयरी के लिए दूध खरीदा जाता है, जिसमें 24 जिले के 17 सदस्य संघ है और 3 मिलियन दुग्ध उत्पादक सदस्य हैं। यह गुजरात के डेयरी सहकारिता के शीर्ष संगठन हैं जो लोकप्रिय 'अमूल' के नाम से जाना जाता है जिसका लक्ष्य किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाना है और गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों को पूरा करता है। इसकी सफलता न केवल भारत में परिलक्षित है बल्कि यह पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जीसीएमएमएफ भारत का सबसे बड़ा डेयरी उत्पाद का निर्यातक है। इसे एक 'ट्रेडिंग हाउस' का दर्जा दिया गया है। गुणवत्ता, ग्राहकों पर केन्द्रित और निर्भरता पर लगातार ध्यान देने के कारण विगत वर्षों में जीसीएमएमएफ को अनेक पुरस्कार और सम्मान मिले हैं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए बहुत खुशी है कि सहकारी समिति बनाने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है जैसाकि कृषि संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की थी। यह अनुमान है कि इससे सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिकार के रूप में लोगों को सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करेगा। इससे सदस्यों की इसमें दिलचस्पी और इसके प्रति उनकी रुचि में काफी वृद्धि होगी और इससे सहकारिता आंदोलन और सशक्त होगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सहकारी समितियों के प्रबंधन में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी कार्यरत संगठन के कर्मचारी उसकी सफलता सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं एक प्रकार से कर्मचारियों के दीर्घकालिक हित उस संगठन की भलाई से जुड़े होते हैं जिसमें वे कार्य करते हैं। वे उस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन सहकारी समिति के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक का उपबंध करता है जो समिति के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यकारी निदेशक समिति के कर्मचारी होंगे। बोर्ड के सदस्यों के रूप में समिति के उद्देश्यों और किये जाने वाले कार्यों से संबंधित क्षेत्र में उन व्यक्तियों जिनकी विशेषज्ञता हो के लिये सह-सहयोग का भी उपबंध है। इस श्रेणी में समिति के बोर्ड के सदस्य के रूप में अन्य लोगों के अलावा कर्मचारी भी नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे। आगे यदि आवश्यक हो, तो इस संबंध में अन्य उपबंध राज्य उनमें अपने संबंधित सहकारी समिति अधिनियम में भी कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा बोर्ड के निदेशकों के अधिक्रमण और निलंबन पर अपने विचार दिये हैं। कुछ सदस्यों ने उन समितियों तक के बोर्ड के अधिक्रमण के लिए सरकार को अधिक शक्ति दिए जाने की वकालत कर रहे थे जिनको सरकार से कोई वित्तीय सहायता भी नहीं दी जाती है जबकि कुछ अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार के सरकार के अधिकार को समाप्त करने या काफी हद तक सीमित करने के पक्ष में थे। मेरा विचार है कि सहकारी समिति के बोर्ड के अधिक्रमण या उनको निलंबित करने के अधिकार को केवल विशेष अपवाद के तौर पर प्रयोग किया जाना चाहिए; केवल उसी स्थिति में जहां कर्त्तव्य पालन के मामले में घोर लापरवाही बरती गई हो या जहां समिति के हितों को प्रभावित करते हुए गंभीर अनियमितताएं बरती गई हों। तथापि यह पाया गया है कि बहुत ही सामान्य रूप में और बहुत कम

गंभीर आरोपों के आधार पर बोर्ड के अधिक्रमण या निलंबन की कई घटनाएं हुई हैं। यह भी पाया गया है कि समितियों के चुनाव कई वर्षों तक नहीं कराए जाते हैं जिससे उनके लोकतांत्रिक रूप से सदस्यों द्वारा नियंत्रण और इसके स्वायत्त कार्यकरण पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। नाबार्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा और तमिलनाडु के चुनाव अभी कराए जाने हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक्रमण और निलंबन के अधिकार का अविवेकपूर्ण या छोटी-छोटी बातों के लिए उपयोग न किया जाए, हमने एक समुचित सुरक्षोपाय का प्रावधान किया है। प्रस्तावित संविधान संशोधन में उन प्रमुख स्थितियों को विनिर्दिष्ट किया गया है जहां अधिक्रमण या निलंबन किया जा सकता है और यह ऐसी समितियों के संबंध में ऐसी कार्रवाई को सीमित करता है जिसमें सरकार द्वारा कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह कानून ऐसे अधिक्रमण के बाद 6 माह के भीतर एक स्वतंत्र प्राधिकारी द्वारा चुनाव करवाना अनिवार्य बनाता है। इस प्रकार संबंधित अधिकारियों द्वारा इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किये गये हैं।

एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या सहकारी समितियों को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों के लिये सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में सचूना प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा जिससे पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि अधिकांश सहकारी समितियां 'सरकारी प्राधिकरण की श्रेणी' के अंतर्गत नहीं आतीं इसलिए उन्हें इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। तथापि, बहुत से न्यायालयों ने इस संबंध में कतिपय आदेश पारित किए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने 2009 के डब्ल्यू.पी. सं. 1417 – थालापालम सेवा सहकारी समिति बनाम भारत संघ और अन्य, में यह निर्णय दिया है कि चाहें कोई समिति एक सरकारी प्राधिकारी है, एक विवादित प्रश्न है, जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सुलझाना चाहिये तथापि यह सरकारी समितियों के हित में होगा कि उनमें उचित सूचना प्राप्त सदस्या हों इस बारे में बेहतर जानकारी हो और केवल वे ही सहकारी संस्थाओं के सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि सहकारी समितियों के सदस्यों को समिति के कार्यों और इसके कार्यकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार हो। इससे समितियों के कार्यकरण में अपेक्षित पारदर्शिता और ईमानदारी आएगी।

आज सहकारी संस्थायें जिन समस्याओं और कमियों का सामना कर रही है। उनका समाधान करने में प्रस्तावित संशोधन मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह न केवल सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कार्यकरण को सुनिश्चित करेगा बल्कि इन संस्थाओं के लोगों का विश्वास भी बढ़ायेगा। इससे सदस्यों तथा अन्य हित धारकों के प्रति प्रबंधन की जबावदेही को भी सुनिश्चित करेगा तथा विधिक उपबंधों के उल्लंघन पर भी अंकुश लगायेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि इस संशोधन से सहकारिता आंदोलन और मजबूत होगा और यह, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को, बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व में सभा को यह बता देना चाहती हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.25 बजे

इस समय, श्री लालू प्रसाद, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया : अब दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

अब महासचिव स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के बारे में सभा को बताएंगे।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, जिन्हें अब तक विभाजन संख्या आवंटित नहीं की गई है उन्हें अपना मत रिकॉर्ड करने के लिए उनके स्थान पर ही पक्ष में/विपक्ष में मतदान करने के लिए मुद्रित पर्ची दी जाएगी। सदस्य इन पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अपना नाम और सदस्यों को दिए गए अस्थायी/स्थायी पहचान-पत्र पर दी गयी पहचान-पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और दिनांक लिखकर और हस्ताक्षर करके अपने इच्छानुसार मतदान कर सकते हैं। सदस्य, जो 'भाग नहीं लिया' रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वे इस पर्ची की मांग कर सकते हैं।

स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग मशीन की कार्य-प्रणाली:

[महासचिव]

स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के प्रचालन के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है:–

1. मत-विभाजन शुरू होने से पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्थान पर चले जाएंगे और केवल अपने स्थान से ही मतदान करेंगे।

2. जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय अध्यक्षपीठ के दोनों तरफ 'सूचना बोर्ड' पर लाल बत्ती जल रही हैं। इसका मतलब है कि मतदान प्रणाली सक्रिय कर दी गयी है।

3. मतदान के लिए प्रथम अलार्म बजने के तुरंत बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को कृपया एक साथ दबाएं अर्थात् माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लगा एक 'लाल' बटन और साथ ही सीट में एक डेस्क के ऊपर स्थित निम्नलिखित बटनों में से एक बटन:–

पक्ष में	–	हरा बटन
विपक्ष में	–	लाल बटन
भाग नहीं लिया	–	पीला बटन

4. जब तक अलार्म दूसरी बार न बज जाए और 'लाल' बत्ती 'बुझ' न जाए, दोनों बटनों को दबाए रखना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण: माननीय सदस्य कृपया नोट करें कि यदि दूसरी बार अलार्म बजने तक दोनों बटनों को एक साथ दबाकर नहीं रखा जाता है, तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. मत-विभाजन के दौरान कृपया ऐम्बर बटन (पी) नहीं दबाएं।

6. माननीय सदस्य वास्तव में अपना मतदान सूचक बोर्डों पर तथा अपने 'डेस्क यूनिट' पर देख सकते हैं।

7. यदि मतदान दर्ज नहीं होता है तो वे पर्ची द्वारा मतदान की मांग कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब मैं विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:–

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 1 **पूर्वाह्न 11.27 बजे**

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कश्यप, श्री दिनेश

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

*जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

*जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

डे, डॉ. रत्ना

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिवारी, श्री मनीष

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नटराजन, श्री पी.आर.

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

*परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री प्रबोध

*पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमार सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाला, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पॉल, श्री तापस

*पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल श्री पवन कुमार

*बक्शी, श्री सुब्रत

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

*मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

*शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

संगमा, कुमारी अगाथा

*संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

*सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

*सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

*हरि, श्री सब्बम

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हसन, श्रीमती तबस्सुम

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यधीन**, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:–

पक्ष में	:	317
विपक्ष में	:	शून्य
उपस्थित नहीं	:	001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। चूंकि विधेयक में एक नया खंड 1'क' अन्त:स्थापित किए जाने के लिए एक सरकारी संशोधन है, माननीय मंत्री पहले प्रक्रिया

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की। पक्ष में 317 + सर्वश्री सुव्रत बक्शी, अब्बम हरि, डॉ. मन्दा जगन्नाथ, सर्वश्री श्रीप्रकाश जायसवाल, जोस के. मणि, एम. वीरप्पा मोइली, आनंद प्रकाश परांजपे, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, सर्वश्री सोहन पोटाई, तकाम संजय, एस. सेम्मलई, अधलराव पाटील शिवाजी, एन. धरम सिंह, सुशील कुमार सिंह = 331

भाग नहीं लिया 1 – श्री संजय तकाम ने गलती से 'भाग नहीं लिया' वाला बटन दबाया। बाद में उन्होंने इसमें पर्ची के माध्यम से पक्ष में शुद्धि की = 0

नियमों के नियम 88 के खंड 1 के निलंबन के लिए नियम 388 के अधीन प्रस्ताव संख्या को प्रस्तुत करें।

नियम 80 (i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, 2009 की सरकारी संशोधन संख्या 3 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 1क अनुच्छेद 19 का संशोधन

संशोधन किया गया:

'1क. संविधान के भाग तीन में, अनुच्छेद 19 में, खंड (1) में, उप-खंड (ग) में "अथवा संघों" शब्दों के पश्चात्, "अथवा सहकारी समितियों" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाए।' (3)

(श्री शरद पवार)

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गई हैं। प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 1क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 2 पूर्वाह्न 11.30 बजे

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

*आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

कश्यप, श्री दिनेश

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

*कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जहां, श्रीमती कैसर

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

*तिरकी श्री मनोहर

*तिवारी, श्री मनीष

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नटराजन, श्री पी.आर.

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

*नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

*पाटील, श्री सी.आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाठक, श्री हरिन

*पाण्डेय, कुमार सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल श्री पवन कुमार

*बक्शी, श्री सुब्रत

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बलीराम, डॉ.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

*बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बासके, श्री पुलिन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्रीं प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री कादिर

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री नामा नागेश्वर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

*शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

संगमा, कुमार अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

*सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*सिंह, श्री एन, धरम

सिंह श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती मीना

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन् चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हजारी, श्री महेश्वर

हरि, श्री सब्बम

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:—

पक्ष में : 320

विपक्ष में : शून्य

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 1क विधेयक में जोड़ दिया गया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया। शुद्धि की।

पक्ष में 320 + सर्वश्री एम. आनंदन, प्रताप सिंह बावजा, सुब्रत बक्शी, एन. पीताम्बर कुरुप, एम. वीरप्पा मोइली, इन्दर सिंह नामधारी, कुमारी सरोज पाण्डेय, सर्वश्री सी. आर. पाटिल, ए. सम्पत अधलराव पाटील शिवाजी, एन. धरम सिंह, मनीष तिवारी, पी.टी. थॉमस, मनोहर तिरकी = 334

खंड 2 नए अनुच्छेद 43ख का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदया : श्री ए. सम्पत ने खंड 2 में संशोधन करने हेतु सूचना सभा पटल पर रखी है।

श्री सम्पत क्या आप संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"पृष्ठ 1, पंक्ति 11 में–

"सोसाइटीज़" के बाद

"सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करे।" (6)

अध्यक्ष महोदया : मैं अब सभा में मतदान हेतु श्री ए. सम्पत द्वारा लाए गए संशोधन संख्या 6 रखूंगी।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं पहले ही खाली हो चुकी हैं। अब मैं खंड 2 को सभा में मतदान हेतु रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

श्री शरद पवार : महोदया, मैं पुन: मतदान चाहता हूं। मैं पुन: मत-विभाजन चाहता हूं।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरूम्बुदूर) : पुन: मत-विभाजन किया जा सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हम पुन: मतदान कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, शायद कुछ माननीय सदस्य वास्तव में प्रक्रिया को समझ नहीं पाए हैं। पहले एक माननीय सदस्य द्वारा एक संशोधन प्रस्ताव लाया गया जिसे अस्वीकृत किया जाना था, उन्होंने सोचा कि मत-विभाजन उस संशोधन के संबंध में अपनाया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

महोदया, ऐसा होता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं और यह बहुत ही वैध अनुरोध है जो मैं कर रहा हूं कि पुन: मतदान करने के लिए विचार करें। यह बातों को सुगम बनाएगा *...(व्यवधान)*

महोदया, यह अनुमत है।

महोदया, आमतौर पर होता यह है कि मत-विभाजन से पहले आप ध्वनि मत से विभाजन कर सकते हैं जिसके बाद मत-विभाजन हो सकता है।*...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदया, यह तंत्र की विफलता है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, कृपया आप अपना स्थान-ग्रहण करें। कोई भ्रम पैदा न करें। यह बहुत ही गंभीर मामला है। हम एक संविधान संशोधन लाने की प्रक्रिया में हैं। कृपया इसे गंभीरता से लें और जो हो रहा है उस पर ध्यान दें।

अब मुझे माननीय संसदीय कार्य मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है कि बड़ी संख्या में सदस्यगण अपने पक्ष में सुधार चाहते हैं। मैंने नियमों को पढ़ा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैंने नियमों को पढ़ा है। मैं सभा की भावना समझना चाहती हूं कि क्या यह मत-विभाजन पुन: होना चाहिए। इसलिए कृपया हाथ उठाएं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यदि मत-विभाजन एक बार हो जाता है तो इसे दुबारा नहीं किया जा सकता*...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किस नियम के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जी, नहीं अब अध्यक्ष को निर्णय करने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुझे निर्णय लेने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं पाती हूं कि अधिकांश सदस्यगण पुनः मत-विभाजन चाहते हैं।

दीर्घा को खोल दिया जाए ताकि सदस्यगण अंदर आएं और इसके बाद दीर्घाओं को खाली करा दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाओं को खाली किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, कृपया शांत रहें। कृपया हम इस समय कोई भ्रम न पैदा करें। पिछली बार भ्रम की स्थिति थी।

माननीय मंत्री जी ने एक अनुरोध किया। इसलिए एक बहुत ही विशेष मामला समझते हुए जिसे भविष्य में पूर्वोदाहरण न समझा जाए, मैं मत-विभाजन की अनुमति प्रदान कर रही हूं।

दीर्घाएं खाली हैं। प्रश्न "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने" सभा के समक्ष पहले से ही विद्यमान है।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत-विभाजन संख्या 3 **पूर्वाह्न 11.52 बजे**

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

*ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जहां, श्रीमती कैसर

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

*जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवरा, श्री मिलिन्द

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नायक, श्री पी. बलराम

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रधान, श्री नित्यानंद

*बक्शी, श्री सुब्रत

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान

बलीराम, डॉ.

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्द्रन, श्री सी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लालू प्रसाद, श्री

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

*शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

*शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री विजय बहादुर

*सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तिरकी, श्री मनोहर

देवेगौड़ा, श्री एच.डी.

नटराजन, श्री पी.आर.

पांडा, श्री प्रबोध

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बिजू, श्री पी.के.

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मलिक, श्री शक्ति मोहन

राजेश, श्री एम.बी.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

लिंगम, श्री पी.

सम्पत, श्री ए.

सिंह, श्री जगदानंद

हक, शेख सैदुल

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:–

पक्ष में : 369

विपक्ष में : 016

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 नए भाग 9ख का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदया : खंड 3 में सरकार द्वारा संशोधन किया जाता है। अब, मंत्री जी संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 23 और 24,–

"संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 2009"

के स्थान पर

"संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (4)

(श्री शरद पवार)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 364 + सर्वश्री सुब्रत बख्शी, महेश जोशी, असादूद्दीन ओवेसी, मदनलाल शर्मा, अधलराव पाटील शिवाजी, वीरभद्र सिंह = 375

अध्यक्ष महोदया : एडवोकेट ए. सम्पत जी ने खंड 3 में 6 संशोधनों हेतु नोटिस दिया है। श्री सम्पत, क्या आप 7-12 संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री ए. सम्पत (अटिंगल) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे इन संशोधनों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये संशोधन अतिमहत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं मुझे उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति दें। मैं संशोधनों का अग्रह करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 में–

"निर्वाचित" के पश्चात "अथवा नामनिर्दिष्ट" अंत:स्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति, 26 में–

"अवसान से" के पश्चात् "कम से कम तीन माह" अंत:स्थापित किया जाए।" (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति, 37 में–

"कोई बोर्ड" के पश्चात् "बोर्ड की अवधि के दौरान कुल" अंत:स्थापित किया जाए। (9)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12 में–

"अधिष्ठित नहीं किया जाएगा" के स्थान पर "अधिष्ठित नहीं किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।(10)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10 में–

"परंतु यह और कि जहां" के स्थान पर "परंतु यह और कि चाहे जहां" प्रतिस्थापित किया जाए। (11)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12 के अंत में–

"यदि अनुच्छेद 243यड़ के खंड (1) का उपखंड (i) से (v) के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन होता है अंत:स्थापित किया जाए।" (12)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं श्री ए. सम्पत द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 12 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन प्रस्तुत किए गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गई हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मैं खंड 3 को, संशोधन रूप में सभा में मतदान के लिए रखूंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांत हो जाएं, क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शांति से बैठें। हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, जरा शांति हो जाएं और शोर न करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया, सभा में व्यवस्था बनाए रखें। यह क्या हो रहा है। आप खड़े क्यों हैं? कौन खड़ा है? कृपया बैठ जाइए। अगली बार मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगी और मैं पठन जारी रखूंगी।

दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गई हैं। अब मैं खंड 3, यथा संशोधत रूप में सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या 4 **पूर्वाह्न 11.57 बजे**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

*आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

देवरा, श्री मिलिन्द

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नटराजन, श्री पी.आर.

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नायक, श्री पी. बलराम

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पॉल, श्री तापस

*पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रधान, श्री नित्यानंद

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार,

*बक्शी, श्री सुब्रत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

''बाबा'', श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

मजूमदार, श्री प्रशांत कुमार

मणि, श्री जोस के.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमार अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह श्री गणेश

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

*सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

*सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हक, शेख सैदुल

हरि, श्री सब्बम

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान

देवेगौडा, श्री एच.डी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

कुमार, श्री पी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:–

पक्ष में : 374

विपक्ष में : 007

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधन रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

अध्यक्ष महोदया : खंड 1 में सरकारी संशोधन किया जाना है। अब मंत्री जी संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 और 4,–

"संविधान (एक सौ ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 2009"

के स्थान पर

"संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (4)

(श्री शरद पवार)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने मतदान में भाग लिया और पर्ची के माध्यम से अपने मत की शुद्धि की।

पक्ष में 374 + सर्वश्री एम. आनंदन, सुब्रत बख्शी, सोहन पोटाई, सुशील कुमार सिंह, ई.जी. सुगाबनम = 379

विपक्ष में 7 – श्री एम. आनंदन, ने गलती से विपक्ष में मतदान किया। बाद में उन्होंने पर्ची के माध्यम से पक्ष में अपने मत में शुद्धि की। 7-1 = 6

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदया : दीर्घायें पहले ही खाली करा दी गयी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत-विभाजन संख्या 5 पूर्वाह्न 12.01¼ बजे

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बुसदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

किल्ली, डॉ. कुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहान, श्री संजय सिंह

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जहां, श्रीमती कैसर

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टप्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

डिएस, श्री चार्ल्स

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरकी, श्री मनोहर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोरावू

देवरा, श्री मिलिन्द

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नायक, श्री पी. बलराम

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रधान, श्री नित्यानंद

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार,

*बक्शी, श्री सुब्रत

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिजू, श्री पी.के.

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

मणि, श्री जोस के.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री नरहरि

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री कादिर

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर, प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शिवासामी, श्री सी.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

*सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह श्री गणेश

सिंह, श्री जगदानंद

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

हरि, श्री सब्बम

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

*हसन, डॉ. मोनाजिर

हसन, श्रीमती तबस्सुम

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन** मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:–

पक्ष में	:	390
विपक्ष में	:	शून्य

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 390 + श्री सुब्रत बख्शी, डॉ. मोनाजिर हसन, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया = 393

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा सभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"साठवें" *के स्थान पर*

"बासठवें" *प्रतिस्थापित* किए जाए। (1)

(श्री शरद पवार)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री शरद पवार : मैं प्रस्ताव करता हूं:–

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं पहले ही खाली करा दी गयी हैं।

प्रश्न यह है:-

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत-विभाजन संख्या 6 **पूर्वाह्न 12.01 बजे**

पक्ष में

अंगड़ी, श्री सुरेश

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अजमल, श्री बदरूद्दीन

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अडसुल, श्री आनंदराव

अनंत कुमार, श्री

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहमद, श्री सुल्तान

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बुसदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदित्यनाथ, योगी

आधि शंकर, श्री

आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

आवले, श्री जयवंत गंगाराम

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

उपाध्याय, श्रीमती सीमा

एंटोनी, श्री एंटो

ओला, श्री शीशराम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

कटील, श्री नलिन कुमार

'कमांडो', श्री कमल किशोर

करवारिया, श्री कपिल मुनि

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश

कुमारी, श्रीमती पुतुल

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खत्री, डॉ. निर्मल

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकांत

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गवली, श्रीमती भावना पाटील

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड़ श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चाको, श्री पी.सी.

चांग, श्री सी.एम.

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डॉ.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार

चौधरी, श्री जयंत

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती श्रुति

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान, श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री प्रभातसिंह पी.

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा

जतुआ, श्री चौधरी मोहन

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जरदोश, श्रीमती दर्शना

जहां, श्रीमती कैसर

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव

जाधव, श्री बलीराम

जायसवाल, डॉ. संजय

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जावले, श्री हरिभाऊ

जिन्दल, श्री नवीन

जिगजिणगी, श्री रमेश

जूदेव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, डॉ. सी.पी.

जोशी, श्री कैलाश

जोशी, श्री प्रहलाद

जोशी, श्री महेश

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टैगोर, श्री मानिक

टोप्पो, श्री जोसेफ

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरकी, श्री मनोहर

तिरूमावलावन, श्री थोल

तिवारी, श्री मनीष

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री भक्त चरण

दास, श्री राम सुन्दर

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देवरा, श्री मिलिन्द

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

देशमुख, श्री के.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी

नटराजन, श्री पी.आर.

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नामधारी, श्री इन्दर सिंह

नायक, श्री पी. बलराम

नारायण राव, श्री सोनवणे प्रताप

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नूर, कुमारी मौसम

नैपोलियन, श्री डी.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश

पवार, श्री शरद

पांगी, श्री जयराम

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री राकेश

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटील, श्री प्रतीक

पाटील, श्री संजय दिना

पाटील, श्री सी.आर.

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पाला, श्री विन्सेंट एच.

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

पुनिया, श्री पन्ना लाल

पॉल, श्री तापस

पोटाई, श्री सोहन

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रधान, श्री नित्यानंद

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार,

*बक्शी, श्री सुब्रत

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बनर्जी, श्री कल्याण

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाइते, श्री थांगसो

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

"बाबा", श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

*बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिश्नोई, श्री कुलदीप

बिजू, श्री पी.के.

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बेसरा, श्री देवीधन

बैठा, श्री कामेश्वर

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द्र

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भैया, श्री शिवराज

मणि, श्री जोस के.

मलिक, श्री शक्ति मोहन

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

*महतो, श्री नरहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

माझी, श्री प्रदीप

मांझी, श्री हरि

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री महाबल

मीणा, श्री नमोनारायन

मीणा, श्री रघुबीर सिंह

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मेघे, श्री दत्ता

मैन्या, डॉ. थोकचोम

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री दिनेश चन्द्र

यादव, श्री मधुसूदन

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

रहमान, श्री अब्दुल

राघवन, श्री एम.के.

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई.

राजगोपाल, श्री एल.

राजभर, श्री रमाशंकर

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेन्द्रन, श्री सी.

राजेश, श्री एम.बी.

राठवा, श्री रामसिंह

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री जगदीश सिंह

राणा, श्री राजेंद्रसिंह

राणे, श्री निलेश नारायण

राम, श्री पूर्णमासी

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामशंकर प्रो.

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री प्रेम दास

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री रूद्रमाधव

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एम.

राव, श्री के. नारायण

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री अशोक कुमार

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई.

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लागुरी, श्री यशवंत

लालू प्रसाद, श्री

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री सज्जन

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम

वासनिक, श्री मुकुल

विवेकानंद, डॉ. जी.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

व्यास, डॉ. गिरिजा

शर्मा, श्री जगदीश

शर्मा, श्री मदन लाल

शानवास, श्री एम.आई.

शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव

शेखावत, श्री गोपाल सिंह

शेटकर, श्री सुरेश कुमार

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सम्पत, श्री ए.

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

साय, श्री विष्णु देव

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहू, श्री चंदूलाल

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे

सिंह, श्री आर.पी.एन.

सिंह, चौधरी लाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री जगदानंद

सिंह, श्री जसवंत

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री भूपेन्द्र

सिंह, डॉ. भोला

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री भरतसिंह

सोलंकी, श्री मकनसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

स्वामी, श्री जनार्दन

हक, श्री मोहम्मद असरारूल

*हक, शेख सैदुल

हरि, श्री सब्बम

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन

हसन, डॉ. मोनाजिर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

हुसैन, श्री इस्माइल

विपक्ष में

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि** के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:—

पक्ष में	:	394
विपक्ष में	:	001

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पक्ष में 394 + सर्वश्री सुव्रत बक्शी, पुलिन बिहारी बासके, शेख सैदुल हक, श्री नरहरि महतो = 398

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

विधेयक संशोधित रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

माननीय सदस्यों, चूंकि विधेयक में एक नया खंड 1(क) जोड़ा गया है, इसे खंड 2 के रूप में पुनः संख्यांक प्रदान किया जाए तथा बाद में आने वाले खंडों की क्रम संख्या तदनुसार पुनः संख्यांकित की जाए।

दीर्घाएं खोल दी जाएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम 'शून्यकाल' की कार्यवाही शुरू करेंगे। श्री लालू प्रसाद बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : अध्यक्ष महोदया, मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि कल बताया गया था कि लोकपाल बिल प्रिंट नहीं हुआ है और रात को सभी सांसदों को पहुंचा दिया जाएगा। रात से लेकर यहां आने से पहले हम लोगों ने सारे कागजात ढूंढ़े, लेकिन कहीं भी लोकपाल बिल की कॉपी नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिलीज कर दिया गया। यह प्रिविलेज का मामला नंबर एक बनता है। दूसरा, यह कसरत इसलिए की गई कि यहां अभी आने के बाद सभी माननीय सदस्यों को जो लोकपाल बिल सर्कुलेट हुआ है, आपको मालूम है, सारी दुनिया को मालूम है कि सोशल जस्टिस हमारे जहन में है, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, वूमेन और माइनोरिटी का 50 प्रतिशत रिजर्वेशन सभी जगह सब लेयर पर स्वीकार किया गया था। यही हम लोगों को बताया भी गया था, हमने वेरिफाई भी किया था लेकिन अब जो विलंब इस बिल को पेश करने में हुआ है, रात को नहीं मिला, प्रिंटिंग का बहाना बनाया गया, रात भर आरएसएस और बीजेपी द्वारा आपरेट करके मुसलमानों को हटवा दिया गया।...*(व्यवधान)* यहां से यह देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, आरएसएस की मिलीभगत हो कर...*(व्यवधान)* इसीलिए यह विलंब हुआ है। मैं पढ़ता हूं – लोकपाल और लोकायुक्त के सदस्यों से 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों और महिलाओं से होंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, देखिए। जो बिल इंट्रोड्यूज नहीं हुआ है, उसमें से मत पढ़िए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदया : यह इंट्रोड्यूज नहीं हुआ है। आप उसमें से मत पढ़िए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : क्या इस देश के माइनोरिटी नागरिक नहीं हैं?...*(व्यवधान)* यह सर्कुलेट हो गया।...*(व्यवधान)* माइनोरिटी को किसी न किसी बहाने छांटा गया है। यह बिल्कुल इनकम्पलीट है। माइनोरिटी को क्यों छांटा?...*(व्यवधान)* आरएसएस, बीजेपी के दबाव में कांग्रेस यह काम करके यह बिल लाई है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करते और न हम इसे स्वीकार करेंगे।...*(व्यवधान)* सुधार कर लाइए। माइनोरिटी को रखिए। हम लोग पांच मिनट में संविधान बदल रहे हैं। संविधान का बहाना बनाकर इस देश की माइनोरिटी को साजिश के साथ, इनके इशारे से, इनके डर से हटाया गया है। आरएसएस और बीजेपी का एक हाथ है।...*(व्यवधान)* इसे सुधारकर लाइए और तब पेश कीजिए। हम इसे माइनोरिटी रहित लोकपाल बिल को पढ़ेंगे, देखेंगे, हाउस ने जो तय करना होगा, करेगा। ये मिले हुए हैं। इनके दबाव से आरएसएस, बीजेपी के दबाव से माइनोरिटी को छांटा गया। यह साजिश हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, श्री गुरुदास दासगुप्त बोलेंगे। कार्यवाही-वृत्तांत में इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने कार्य स्थगन का नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम आपको बुलवाएंगे।

---

*कार्यवाही वृत्तांत-में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.08 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री घनश्याम अनुरागी आगे आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़ हो गए।

अध्यक्ष महोदया : आपको इनके बाद बुलवाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08½ बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और श्री घनश्याम अनुरागी अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त जी को सुन लीजिए। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपको भी बुलवाएंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री गुरुदास दासगुप्त के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : मैं कैसे बोल सकता हूं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : उनकी बात सुन लीजिए। उनकी बात तो सुनिये।

...(व्यवधान)

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल) : क्या माइनोरिटी नागरिक नहीं हैं?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। आपने बोल लिया है अब इनकी बात भी सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत-में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह जी बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद माननीय लालू जी को भी कुछ कहना है। हम दो बातें कहना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सच्चर समिति की सिफारिशें लागू नहीं की जा रही हैं। मेरा आरोप यह है कि सच्चर समिति को इसी कांग्रेस सरकार ने ही बैठाया और रिपोर्ट भी इसी कांग्रेस सरकार के पास है। सच्चर समिति की सिफारिशें क्यों नहीं लागू की जा रही हैं? सरकार रिपोर्ट को क्यों दबाए बैठी है? सच्चर समिति में मुसलमानों के लिए क्या सिफारिशें की गई हैं, यह हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। इसमें कहा गया है कि बिना आरक्षण के मुसलमानों का इस समाज में अच्छा हाल नहीं हो सकता है।*...(व्यवधान)* मुसलमान कहें या माइनॉरिटी कह लीजिए। दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि लोकपाल बिल से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को क्यों बाहर किया गया? चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, इन्हें बाहर क्यों किया गया? आपको पता नहीं है कि विशेषकर लोग मुस्लिम विरोधी हैं, असली बात यह है। इसलिए मेरा आरोप है कि जो सदन की इतनी महत्वपूर्ण समिति बनती है, उसमें मुसलमानों को क्यों अलग कर दिया जाता है? इसी तरह से मेरे ये दो सवाल हैं। इन सवालों के जबाव से हमें संतुष्ट करें। यहां मिनिस्टर बैठे हैं, माननीय शरद पवार बैठे हैं। वे यहां एलान करें कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें को लागू किया जाएगा और लोकपाल बिल में मुसलमानों को भी रखा जाएगा, माइनॉरिटीज को भी रखा जाएगा।

माननीय शरद पवार जी, यहां बैठे हैं, वे सीनियर है।...*(व्यवधान)* आप भी पीछे बैठे हैं, मिनिस्टर साहब, वे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। चिदम्बरम साहब, आप भी पीछे बैठे हैं। आप इतने दु:खी क्यों रहते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, आपके नेतृत्व में चलेगा, आपकी अध्यक्षता में चलेगा। मैं अपनी दो बातें यहां आपके सामने रखता हूं। इसे कांग्रेस स्वीकार करे, सरकार स्वीकार करे और सदन में ही जबाव दे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जिन्हें एसोसिएट करना है, वे एसोसिएट कर दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों कैसे खड़े हो गए? दोनों कैसे बोलेंगे? एक को बुलाएंगे न?

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें आम सहमति थी कि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, वे लोकपाल में इन्कॉरपोरेट किए जाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन का जो दायरा है, उसमें ही लोग आए हैं, लेकिन मैं इस सदन में एक बात बताना चाहता हूं कि मुस्लिम की भी वास्ट मेजोरिटी जो है, वह बैकवर्ड क्लासेज में 70-78 प्रतिशत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : और कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, सिर्फ शरद यादव जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)...**

श्री शरद यादव : मेरा यह कहना है कि अभी जो सूरत हैं, जो हालात हैं जिसमें सरकार लोकपाल बिल लाई है, इसमें माइनॉरिटीज के लोगों को रखने के इंतजाम की बात कही गयी थी। लेकिन जब रिजर्वेशन की सब कैटेगेरीज को रखना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : लोकपाल बिल तो अभी आया नहीं है। जब आएगा तो उसकी बात कीजिएगा। जो बात रखनी है, फिर रखिएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह जब इंट्रोड्यूस होगा तब न?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सर, मुलायम सिंह यादव जी ने जो सवाल रखा है, सच्चर कमेटी की सिफारिश और इसके साथ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी, ये दोनों कमेटियों की सिफारिश ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया श्री बसुदेव आचार्य जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बसुदेव आचार्य जी के बाद आप बोलना।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार में एक व्यक्ति ही बोलेगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि सरकार ने इन दोनों कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर क्या कार्यवाही की है?...*(व्यवधान)* इसके ऊपर सरकार बयान दे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार दस फीसदी आरक्षण सामाजिक...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले बोला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जो पिछड़े माइनॉरिटी के लोग हैं, उन्हें दस फीसदी आरक्षण दिया है।*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश के मुताबिक*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ बसुदेव आचार्य जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

श्री बसुदेव आचार्य : लोकपाल गठन करने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूज होगा, वह बिल सर्कुलेट हुआ है। उसमें एससी, एसटी, वूमैन, ओबीसी और उसके साथ माइनॉरिटी, जो बैकवर्ड हैं, सोशली, एजुकेशनली, *[अनुवाद]* जो पिछड़े हैं, *[हिन्दी]* उनको भी लाना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में यह सुझाव रखा गया था, *...(व्यवधान)* ये जो बिल सर्कुलेट किया है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि यह गुम हो गया है।*...(व्यवधान)* मैं फिर दोहराता हूं कि यह गुम हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दारा सिंह चौहान जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ दारा सिंह जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी, अन्य किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : इस तरह हम कैसे बोलेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दारा सिंह चौहान जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : सर, हाउस आर्डर में लाइए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप इतनी देर तक बोले हैं, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभा में यह क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)* आपने मुझे बोलने के लिए कहा है वे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : दारा सिंह चौहान जी, आप बोलिए। *[अनुवाद]* कार्यवाही-वृत्तांत में इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : उपाध्यक्ष जी, बार-बार सरकार की तरफ से माइनॉरिटी के सवाल को उछाला जा रहा है*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सच्चर कमेटी पर बोल रहे हैं न? यह सच्चर कमेटी के सम्बन्ध में है। लोकपाल बिल अभी इण्ट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी वह हाउस में आया नहीं है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दारा सिंह चौहान : सबसे पहले बात यह है कि आपने कल कहा था कि बोलने की अनुमति बहुत सारी पार्टी के सदस्यों को नहीं दी गई है। बार-बार सरकार की तरफ से माइनॉरिटी के सवाल को लेकर गुमराह किया जा रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग में हमारी पार्टी ने कहा था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी लोकपाल बिल पर नहीं बोलना है, सच्चर कमेटी पर बोलना है। अभी जो मुलायम सिंह जी ने मुद्दा उठाया है, उस पर बोलना है।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान : लोकपाल बिल में समिति ने कहा कि एस.सी., एस.टी., माइनॉरिटी की महिलाओं को रखा जायेगा, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें माइनॉरिटी को क्यों नहीं रखा गया? *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यह बिल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अभी इस पर ज्यादा मत कहिये।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : फिर क्यों माइनॉरिटी को लाकर खड़ा कर दिया गया, यह इंट्रोड्यूस हो जायेगा, तब इस पर चर्चा कराइये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अभी लोकपाल बिल के सम्बन्ध में बात नहीं करनी है। अभी जो मामला उठा है, उस पर बात करनी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 02.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे पुनः समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, आप लोगों को समय दिया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (सारण) : एक बात सुनिये, यह सब क्या है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वे विधेयक वापस ले रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : सभापति महोदय, विधेयक वापस लेने के लिए सूचना कब दी गई?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अब नया बिल आया है, तो स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.31 बजे

लोकपाल विधेयक, 2011

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 22 पर विचार करेंगे। श्री वी. नारायणसामी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. नारायणसामी : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 22(क) पर चर्चा शुरू करते हैं। श्री वी. नारायणसामी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया:

"कि कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए लोकपाल की संस्था की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्रीमती सुषमा स्वराज।

...(व्यवधान)

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.12.2011 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : सभापति महोदय, नियम 72 के तहत मैंने आपको एक नोटिस दिया है, जिसमें इस बिल पर इन्ट्रोडक्शन के समय मैं कुछ आपत्तियां उठाना चाहती हूं।

सभापति जी, वैसे तो देश बहुत दिनों से यह प्रतीक्षा कर रहा था कि एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल बिल इस संसद में आयेगा और इस संसद के द्वारा पारित किया जायेगा, लेकिन बिल जिस प्रारूप में हमारे सामने आया है, उसने हमें बहुत निराश किया है। कैसे निराश किया है, इस पर तो मैं तब बोलूंगी, जब बिल चर्चा के लिए रखा जायेगा, बीएसी ने जो तीन दिन तय किये हैं, जब बिल पर चर्चा प्रारंभ होगी तो मैं क्लॉज आपको बताऊंगी कि बिल नि:शक्त कैसे है, शक्तिविहीन कैसे है, निष्प्रभावी कैसे है। चूंकि इंट्रोडक्शन के समय मैं केवल आपत्तियां उठा सकती हूं, तो दो आपत्तियां प्रमुख रूप से मेरी इस बिल पर हैं और दोनों संविधान से संबंधित हैं।

पहली आपत्ति मेरी यह है कि यह बिल जिस आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, वह आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। सभापति जी, बिल के चैप्टर 2 की धारा 3 में, आप प्रोवाइजो देखिए।

[अनुवाद]

"परन्तु लोकपाल के 50 प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं में से होने चाहिए।"

[हिन्दी]

जिसमें बाद में इराटा में इन्होंने माइनॉरिटीज भी दिखाया है। सभापति जी, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों फैसले ऐसे आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, एक कैपिंग करके कभी भी आरक्षण पचास फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। पहली बार यह आया है। एक बिल में इस तरह की भाषा, नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट। आपको मालूम है कि यह बिल नौ लोगों को प्रावधान कर रहा है। एक चेयरमैन होंगे लोकपाल के और आठ मैंबर्स होंगे, एक जमा आठ – नौ। नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट का मतलब है कम से कम पांच, यह भाषा अपने आप में असंवैधानिक है। नेता सदन से मैं कहना चाहती हूं, यहां संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं, कपिल सिब्बल जी यहां बैठे हैं, पवन कुमार बंसल जी, ये सब लोग एडवोकेट्स हैं, ये जानते हैं। क्या आप लोगों ने यह बिल देखा नहीं कि कभी भी नॉट लेस

दैन फिफ्टी परसेंट शब्द आ ही नहीं सकता, लेकिन आपने प्रोवाइजो में डाला है, नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट। अगर यह बिल आज पास होने के बाद कोर्ट में चला जाए, तो पहले दिन ही स्ट्राइक करके स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। क्या हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि 43 वर्षों बाद के एक बिल पारित हो और वह जाते ही वह वायड अब इनीशियो कर दिया जाए। इसलिए नॉट लेस दैन फिफ्टी परसेंट की भाषा असंवैधानिक भाषा है, संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए जो आज माइनॉरिटीज का प्रावधान ये लेकर आए हैं, इराटा के माध्यम से, धर्म आधारित आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है।...*(व्यवधान)* हमारे यहां एससी, एसटी, ओबीसी का प्रावधान है, शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण है। 27 परसेंट का आरक्षण मंडल आयोग के माध्यम से भी किया गया है, लेकिन मजहब पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था और कल्पना भारतीय संविधान नहीं करता। मेरी पहली आपत्ति है।...*(व्यवधान)* हम चर्चा के समय टर्निंग अवश्य लाएंगे। क्योंकि संसद से कोई असंवैधानिक बिल निकले, कम से कम हमारे रहते यह नहीं होगा हम टर्निंग लाएंगे। यह मेरी पहली आपत्ति है। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह बिल संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। सभापति जी, इस बिल के साथ दो बिल आए हैं – एक कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल/संविधान संशोधन बिल और एक दूसरा बिल आया है। जो संविधान संशोधन बिल है उसकी धारा 323(डी) में अमेंडमेंट की जो बात की है उसमें कहा है कि *[अनुवाद]* 'हर राज्य के लिए लोकायुक्त होगा।' *[हिन्दी]* उसके बाद हर जगह कहा है कि *[अनुवाद]* 'कानून संसद या राज्य विधायिका, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा बनाया जाएगा।' *[हिन्दी]* आपने हर जगह वह ऑप्शन दी है। कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट 323(डी) में कर रहे हैं वहां आपने यह ऑप्शन दी है कि चाहे पार्लियामेंट बिल बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधान सभा बिल बनाए, यह संविधान सम्मत है लेकिन इसके साथ आप जब यह बिल ले कर आए हैं तो बिल में आपने चैप्टर-2 लिया है, जहां आपने कहा है कि 'लोकायुक्त की स्थापना'...*(व्यवधान)* मैं कह रही हूं कि संविधान सम्मत कैसे नहीं है? आपने जो 64 किया, आपको याद होगा जिस समय हम लोकायुक्त और लोकपाल की चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 252 सबक्लाउज-2 में अगर आप एक बिल लेकर आते हैं, दो स्टेट असेम्बली का रेजलूशन लेकर तो वह एक एनैबलिंग प्रोवीजन बन जाएगा और जो राज्य सरकारें उसको एडाप्ट करना चाहेंगी वे उसको एडाप्ट कर सकेंगी। आपने वह रास्ता नहीं अपनाया है। आपने 253 का रास्ता अपनाया है। 253 वह है जो कोई इंटरनेशनल कॉर्डिनेंस या कोई इंटरनेशनल ट्रीटी के माध्यम से, अगर आपने कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि की है उसके आधार पर आप बिल बनाते हैं। हम बारबार यह कहना चाहते हैं, यहां पर संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं कि 253 के नीचे बना हुआ बिल मैन्डेटरी होता है। उसमें ऑप्शन नहीं होता है। यह जो आपने कॉस्टिट्यूशन अमेंडमेंट और बिल दिया है यही आपस में कन्ट्राडिक्ट्री हैं। आपका कॉस्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप्शन देता है और वह ऑप्शन स्टेट्स को मिलनी चाहिए। अगर स्टेट्स को वह आप्शन नहीं मिलती है तो बहुत से राज्यों ने बहुत अच्छे लोकायुक्त बिल बनाए हैं। कुछ राज्यों के पास यह नया है तो कुछ राज्यों के पास पुराना है। कर्नाटक का लोकायुक्त बिल पुराना है। उत्तराखंड और बिहार ने नया लोकायुक्त बिल बनाया है। वे सारे बिल रिडैन्डेन्ट हो जाएंगे जो इससे ज्यादा प्रभावी बिल हैं, ज्यादा शक्तिशाली बिल हैं। वे बिल नहीं रह पाएंगे क्योंकि यह बिल मैन्डेटरी का प्रोवीजन करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल के नरिश पर चर्चा मैं बाद में करूंगी। मेरी ये दोनों आपत्तियां सांविधानिक आपत्तियां हैं। पहला, आप जो आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं वह संविधान सम्मत नहीं है। दूसरा, आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि 253 के नीचे बनाया हुआ बिल आप्शनल नहीं होगा, वह मैन्डेटरी होगा। हम लोगों को संघीय ढांचे पर प्रहार करने का कोई अधिकार नहीं है। जो राज्य अच्छा बिल बना चुके हैं वे भी इस खराब बिल के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसी मजबूरी में हमें राज्य सरकारों को नहीं डालना चाहिए। इन दोनों के आधार पर मैं चाहती हूं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। इसको वापस संविधान सम्मत बना कर यहां ले कर आइए तो फिर हम इस बिल को पारित करेंगे। यह असंवैधानिक बिल आज इन्ट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। यह मेरी दो प्रमुख आपत्तियां हैं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि विधेयक को पुर:स्थापित करने के चरण पर सामान्यत: विधेयक पर सभा में चर्चा के लिए सभा की विधायी क्षमता पर सवाल उठाया जा सकता है; कि क्या विधेयक पर विचार करने की सक्षमता सभा के पास है।

जहां तक विधायी सक्षमता की बात है समवर्ती सूची में मद संख्या 1, मद संख्या 2 और मद संख्या 11(क) में केंद्र सरकार को, इस संसद को इस विषय पर कानून पारित करने की क्षमता प्रदान करने का प्रावधान है।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है वह इस विधेयक

[श्री प्रणब मुखजी]

के गुणदोष से संबंधित है। इन पर विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने के समय विचार नहीं किया जा सकता। बहुत से विधेयक इस सभा में या दूसरी सभा में या दोनों सभाओं में पारित किए गए हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोक सभा या राज्य सभा ने विधेयक पारित करते समय संविधान की अवमानना की या संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह सभा की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह विधेयक को अपनी विधायी सक्षमता के दायरे में ही पारित करे और यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह तय करे कि पारित किये गए कानून, विधेयक के विभिन्न प्रावधान संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं या नहीं। सभा न्यायपालिका की भूमिका अदा न करे और विधेयक को असंवैधानिक बताकर प्रारंभ में ही इसे अमान्य न किया जाए।...*(व्यवधान)* इसलिए, मेरा अत्यंत नम्र निवेदन है कि मंत्री जी का यह अधिकार है, इस सभा की इस विधेयक पर विचार करने की विधायी सक्षमता है। विधेयक पारित होगा या नहीं, यह सभा के सदस्यों पर निर्भर करता है। हमें इसके निर्णयों पर कुंडली मारकर नहीं बैठ जाना चाहिए।

मैं नेता, प्रतिपक्ष से सहमत हूं कि यह विधेयक और इस पर चर्चा पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह विधेयक सरकार द्वारा शुरू किया गया एकमात्र कानून नहीं है, एक लम्बा इतिहास है, कुछ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ था। कई बार चर्चा हुई। 27 अगस्त को दोनों सभाओं, अर्थात् इस सभा ने तथा दूसरी सभा ने भी, कई कानूनों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिनका दोनों ने मिलकर मसौदा तैयार किया था और यह उसी प्रक्रिया का परिणाम है। लोकपाल विधेयक पर अपनी सिफारिश देने के समय संसद ने अर्थात् इस सभा ने और राज्य सभा ने अभूतपूर्व ढंग से उस दिन सभा की संपूर्ण कार्यवाही को स्थायी समिति के विचारार्थ प्रेषित कर दिया था।

इसलिए, मेरा सादर निवेदन है कि माननीय सदस्यगण को टिप्पणी करने का और अंतत: वे किस रूप में और किस स्थिति में अंतत: विधेयक पारित करें, यह पूर्णत: उन्हीं का अधिकार है। लेकिन, विधेयक को पुर:स्थापित करने दीजिए और हमें इस पर चर्चा का अवसर प्रदान कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि जो नेता, सदन ने कहा कि इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति केवल लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर उठाई जा सकती है, यह गलत है। नेता, सदन बहुत अनुभवी हैं। उन्हें रूल्स एकदम उंगलियों पर याद हैं। लेकिन बहुत बार यह गलती हम भी कर लेते हैं। इसीलिए हमारें टीचर ने लॉ में यह सिखाया था कि बोलने में पहले जरूर एक बार किताब देखकर बोलो। कई बार दिमाग में अलग-अलग चीजें रहती हैं। हम सबके दिमाग में रहता है कि केवल लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर आपत्ति की जा सकती है। नहीं, रूल यह कहता है कि लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर अगर आपत्ति है तो पूरी डिबेट होगी और अगर लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस के अलावा आपत्ति है तो आप नोटिस देंगे और ब्रीफ स्टेटमैंट करेंगे। आप कहें तो मैं रूल 72 पढ़कर सुना देती हूं।

[अनुवाद]

> "यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष, यदि ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा: परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

[हिन्दी]

अगर मैं इसे लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस पर उठाती तो पूरी डिसकशन होती है। मैंने ब्रीफ स्टेटमैंट क्यों दिया – क्योंकि लैजिसलेटिव कॉमपिटैंस के बिना मैं संवैधानिक आपत्तियां उठा रही हूं। नेता, सदन ने जो कहा कि हम ज्यूडिशियरी का रोल न ले लें, दादा, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पहले से देख लें कि हमारे बनाए हुए कानून कहीं जाकर न्यायपालिका में खत्म तो नहीं कर दिए जाएंगे। इसीलिए यहां इतने कानूनदां बैठे हैं, जो कानून नहीं जानते, उनके ऊपर भी यह जिम्मेदारी आती है कि जब वे कानून बनाएं तो पेटैंटली इल्लीगल, पेटैंटली अनकौन्सटीट्यूशनल न बनाएं जो जाते ही खत्म हो जाएं। यह हम पेटैंटली अनकौन्सटीट्यूशनल बना रहे हैं। ये दोनों बातें जो मैंने कहीं, ये पेटैंटली अनकौन्सटीट्यूशनल हैं। 50 प्रतिशत से ज्यादा के आरक्षण का प्रावधान करना, धर्म आधारित आरक्षण का प्रावधान करना, यह पेटैंटली अनकौन्सटीट्यूशनल है। संघीय ढांचे पर प्रहार करना, 253 के नीचे मैनडेटरी प्रोवीजन करना – किसके लिए?

मेरे पास कौन्सटीट्यूशनल है। कौन्सटीट्यूशन की लिस्ट 2 एंट्री 41 क्या कहती है – स्टेट पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विसेज ऑफ दी स्टेट्स हैं, उन्हें लोकायुक्त देखेगा। इसलिए लोकायुक्त का जो कानून है, वह राज्य सरकारें बनायें। यहां से एक मॉडल बिल बन सकता है जिसे राज्य सरकारें स्वीकार करें या न करें, लेकिन अगर आप मेनडेटरी बिल यहां से बनाते हैं, यह पेटैंटली अनकांस्टीट्यूशनल है। दो असंवैधानिक काम आप इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपनी आपत्ति रखी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मैं केवल पढ़ कर अपने दो सवाल आपके सामने, सदन के सामने रखकर ...*(व्यवधान)* अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि बात लंबी हो जायेगी और आप उसकी अनुमति नहीं देंगे। लोकपाल बिल पेश किये जाने के खिलाफ हमारी कुछ आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति है कि विधेयक दूरगामी परिणामों वाला है। इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले संसद सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सीधे ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान का मूल ढांचा (बेसिक स्ट्रक्चर) है, जिसे बदलने का अधिकार संसद को भी नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री जी सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन इस लोकपाल के जरिये परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री जी को लोकपाल के प्रति जबावदेह बनाया जा रहा है, जो सरासर भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। इसलिए इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लोकपाल बिल पारित होने पर छोटे कर्मचारी से लेकर मंत्री तक फैसला लेने और फाइल पर हस्ताक्षर करने से हिचकेंगे। इससे पूरा प्रशासनकि ढांचा ध्वस्त हो जायेगा। लोकपाल के अंतर्गत अध्यक्ष सहित उनके सभी अधिकारी ईमानदार होंगे, दूध के धुले होंगे, ऐसा मानकर चला जा रहा है। क्या यह सच है? क्या लोकपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा? क्या लोकपाल की मशीनरी सरकारी मशीन को हर रोज ब्लैकमेल नहीं करेगी? क्या लोकपाल ब्लैकमेल करने का भ्रष्टाचार का नया प्रशासन नहीं बन जायेगा?

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को इंट्रोडक्शन की इजाजत न दी जाये।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, मैं सरकार को एक प्वाइंट पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को इनके प्रभाव से इन्होंने छोड़ दिया था, पकड़ में आने की बात है।...*(व्यवधान)* सुधार कर लिया है।...*(व्यवधान)* आप बाद में बोलिये।...*(व्यवधान)* यहां विद्वान लोग बैठे हैं, वे बोलेंगे।...*(व्यवधान)* सुना जाये। हड़बड़ी में काम मत करवाइये।...*(व्यवधान)* आप सबकी बात सुनिये। पास करना, बनाना, नहीं बनाना, यह हम लोगों का काम है।

महोदय, 50 प्रतिशत सब लेयर पर लोकपाल बिल बन रहा है, जिसमें आपने शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी, माइनॉरिटीज और महिलाओं को स्वीकार किया। आपको कभी भी इनके झांसे में नहीं आना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : इसे रिकॉर्ड से निकाल दो।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : पहली बात यह है कि माननीय लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने जो आपत्ति उठायी है, वह बहुत मामले में ठीक उठायी है। लेकिन 50 प्रतिशत रिजर्वेशन के बारे में यह जो बोल रही हैं कि अनकांस्टीट्यूशनल हो जायेगा, उनकी यह सोच गलत है। यह गवर्नमैंट सर्विस नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : यही बात है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : यह सरकारी नौकरी नहीं है कि एबव होगा, डायलूट नहीं करना चाहिए और अगर आप किताब में पढ़ते हैं, तो वह सरकारी सेवाओं के लिए है, सरकार की नौकरी के लिए है। माइनॉरिटीज का मतलब है – सिख, ईसाई, मुस्लिम कम्यूनिटी, बुद्धिस्ट आदि...*(व्यवधान)* सब लोग उसमें आते हैं।...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए।...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। इधर आरएसएस का बीच में बयान आया था, पता नहीं क्यों आपके आरएसएस वाले बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं कि मुसलमानों से दोस्ती करनी पड़ेगी सत्ता के लिए। करना चाहिए। आज तक गलती आपने की है। इस रिजर्वेशन को करेक्ट कर लिया, यह अच्छी बात है और जो बिल आया है, यह आनन-फानन में आया है, देश चलता है तो रौब से चलता है, प्रताप से चलता है, एजिटेशन से नहीं चलता है। वही आदमी कल फिर बोलेगा, यह काम करो और हम सबको गुलाम समझेगा कि यह काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे घरों पर हम लोग आंदोलन कराएंगे, सोनिया जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, राहुल जी के घर पर आंदोलन कराएंगे, एमपीज के घर पर आंदोलन कराएंगे, अगर इस तरह हमारे संविधान निर्माताओं के बनाए हुए, दिए हुए ढांचे पर प्रहार हो रहा है, जो मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। भ्रष्टाचार, बात, दुनिया, जहान में यह चलता रहता है, जो आप बोल रहे हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है? चाहे इधर के एमपी हों या उधर के एमपी हों, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, उस दिन विस्तार से बोलूंगा, जब मौका मिलेगा।...*(व्यवधान)* एमपी को पब्लिक सर्वेंट माना गया, ठीक है माना गया, तो हम फेस करते हैं, सीआरपीसी में होगा, लेकिन इसमें जो एक्स-एमपी है, आदमी हारता है, जीतता है, इसको इसमें शामिल किया गया है। मुझे जहां तक जानकारी है अन्ना टीम ने भी यह मांग नहीं की थी, यह कैसे जुटा कि एक्स-एमपी को, सात साल तक अगर कोई कंप्लेंट कर देगा, तो उसे फिर झोला उठाकर कोर्ट-कचहरी में जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा कि आप व्हिप जारी मत कीजिए। यह बहुत गलत है।...*(व्यवधान)* चाहे इधर के एमपी हों या उधर के एमपी हों, ये कौन विद्वान लोग देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं और कौन लोग इस तरह की बातों को, सारी चीजों को गुमराह कर रहे हैं? लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कोख से हम लोग पैदा हुए हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना कोई नई बात नहीं है। जयप्रकाश जी ने इस सवाल को उठाया था, लंबी लड़ाई लड़ी, हमारी कितने पुरखे लड़े और अब भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एमपीज को कहा गया। इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी का विरोध करता हूं, गलतफहमी है, मीडिया के लोग नहीं समझते हैं, चिल्लाते हैं कि लालू विरोध कर रहा है सब लोग, बहुत लोग जोर लगाए थे कि आज फाड़ देना, हम बराबर फाड़ते रहे हैं क्या? काहे फाड़ेंगे? यह पार्लियामेंट कंपीटेंट है, यह तय करेगी। जैसा प्रणब बाबू ने कहा है कि यह हमको तय करना है, 545 एमपी, जितने एमपी हैं अमेंडमेंट लाएंगे, पूरी बात को सुनिए, अध्ययन किसी ने किया नहीं है, किसी आदमी ने पढ़ा भी नहीं। स्थायी समिति में हम लोगों ने क्या किया था, क्या रातोंरात बदला गया, कैसे कौन बदलते रहता है, इसलिए आपको एजिटेशन के डर से यह गलत काम नहीं करना चाहिए, हमको सही काम करना है।...*(व्यवधान)* शरद भाई, मैं अभी बोल रहा हूं, क्या आप बीच में कुछ बोलेंगे?

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : नहीं-नहीं।

श्री लालू प्रसाद : इसमें हमारा सीधा नजरिया साफ है कि लोकपाल बिल बने, कोई विरोध नहीं करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग बोलते हैं, जब लोग लड़ते हैं, लोकपाल बिल बने, लेकिन लोकपाल बिल सशक्त बनना चाहिए। यह सशक्त लोकपाल बिल नहीं है, इसमें चारों तरफ से कैंची लगी हुई है, कोई इधर काटा, कोई उधर काटा, क्या काटा, नहीं काटा। इस देश में क्या भ्रष्टाचार मिटेगा। आप लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। हम लोग देखेंगे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, कैंडिल जलाने वाला भ्रष्टाचार, कैंडिल जला रहा है, जा रहा है, आ रहा है। इसीलिए कहा है कि सभी स्तरों से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।

सबकी सम्पत्ति को नेशनलाइज करना चाहिए और उसका इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन करना चाहिए। सारे खातों को जब्त करना चाहिए, लेकिन एक आदमी भी तैयार नहीं होता है, कोई मेरी तरफ नहीं ताकता है। भ्रष्टाचार, एड़ियां लगा-लगाकर लोग भाषण करते हैं, धन और धरती बंटकर रहेगा, अपना-अपना छोड़कर के। आप ही बताइए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, दो वकील, एक सामाजिक कार्यकर्त्ता, ये तीन-चार व्यक्तियों द्वारा मिलकर सांसद को, संसद को डिक्टेट किया जा रहा है कि इसको पास करो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। यह कोई तमाशा है!...*(व्यवधान)* हम लोग लॉ मेकिंग बॉडी हैं, हम संविधान बनाते हैं, हमें कानून बनाना है। यह क्या समझ लिया गया है, कल कोई आएगा अनशन करने, धरना देने। अनशन करें, प्रदर्शन करें, कुछ भी करें, अपना स्वास्थ्य ठीक करें। उससे क्या लेना-देना हमें। हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमने जो रास्ता चुना है, यह देश के लोकतंत्र को, बाबा के बनाए हुए संविधान को, सारी चीजों को नेस्तनाबूद करने का एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। जो भी ऐसा षड्यंत्र चलाता हो, जहां से भी ऐसा षड्यंत्र चलता हो, विदेश से चलता हो या देश से चलता हो, यह मामूली सवाल नहीं है। हमें इसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा।

एमपी लैड है, इसमें सांसद अनुशंसा देगा, उसका ओपोनेंट कम्प्लेंट कर देगा। उसकी जांच होगी, जिससे काम कराया है, वह कहेगा हुजूर हमने कराया है, वह तो एमपी साहब को दे आए। तो यह कलमाडी का कितना दोष आप बनाना चाहते हैं, हजारों दोष कलमाडी के बनाना चाहते हैं...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिए, अभी तो यह शुरूआत है। इसलिए विस्तार से इस पर चर्चा बाद में होगी। अब बताएं कि एक्स. एमपी का क्या कसूर है। एक्स. एमपी आता है बाथरूम में भी उसे कोई जगह नहीं देता है। अगर कोई देता है तो बताएं। रंजन यादव जैसे एक्स. एमपी हो गए, वह लड़ने वाले हैं, तो इन्हें उठने ही न दें हम, उनके खिलाफ 50 लोगों से दरख्वास्त दिलवा देंगे। इसी तरह वह हमारे खिलाफ दिलवा देंगे। इस तरह से तलवार लटकी रहेगी कि चोर है-चोर है, खा गया-खा गया। खा गया सो गायब हो गया, जो नहीं खाया, उस पर भी कहा जाएगा।

पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हम टकराव की बात नहीं करते। हमने कहा कि नहीं लोकतंत्र में न्यायपालिका का अलग स्थान है। इसीलिए हमने उस पर हाथ नहीं लगाया और कहा कि लोकपाल विधेयक में न्यायपालिका को नहीं लाना चाहिए। उसके लिए जो दूसरा बिल आएगा, तब उस पर अपनी बात कहेंगे।

महोदय, इसलिए जो यह बिल इंट्रोड्यूस किया है, आनन-फानन में किया है। हम लोगों ने इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं है। इस पर कई तरह की आपत्तियां हैं, हमारी भी और अन्य की भी आने वाली हैं। इसलिए इसे बढ़िया से ठोक-बजाकर आप लाएं। अण्णा हजारे जी ने जो मांग नहीं की है, वह भी इसमें हैं। आप बताएं कि क्या पास करेंगे और किस चीज की वह मांग कर रहे हैं। वह भी इस लोकपाल बिल को नहीं मान रहे हैं। आप बताएं कि क्या वह आपके इस लोकपाल बिल को मान रहे हैं? वह तो इसे लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि एक टीवी चैनल आईबीएन-7 में हम दोनों आमने-सामने आए थे। हमने कहा था कि अण्णा जी हम आपके खिलाफ नहीं हैं। हमारे यादव बाबा की आप पूजा करते हैं, अच्छी बात है।...*(व्यवधान)* वहां है, यह अच्छी बात है। इसलिए आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में कड़ाके की ठंडक है। वह जा रहे हैं महाराष्ट्र में...*(व्यवधान)* बात सुनिए। कड़ाके की ठंड है यहां इसलिए महाराष्ट्र जा रहे हैं। लेकिन वहां बाल ठाकरे साहब ने कहा कि कोई लोकपाल बिल की जरूरत नहीं है।...*(व्यवधान)* इनका यह रिमार्क बाल ठाकरे जी के विषय में है। हम बाल ठाकरे जी की आइडोलॉजी का विरोध करते हैं। यह कह रहे हैं कि थोड़ा सा बूढ़ा है, आप कौन सा जवान हैं। आप भी बूढ़ा गए हैं।... *(व्यवधान)* बात सुनिए। हम सबकी तरफ से बोल रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, हम अपनी बात कह रहे हैं क्योंकि एमपीज़ ने हमें अधिकृत किया है। आप बताएं कि इसमें मीडिया को कैसे डाल दिया? मीडिया देश का स्तम्भ है। हम भाषण करते हैं, तो मीडिया हमारी फोटो सारे गांवों में दिखाता है, उसे भी इसमें डाल दिया और इन्हें ब्रीफ कर दिया कि नहीं आपको निकाल दिया है, इसमें कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट में मीडिया आ जाता है। आप बताएं कि मीडिया को भी फांसी लगा रहे हैं। बहुत सोच-समझ कर हमने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं हैं, प्रधानमंत्री देश का लीडर है। आज मनमोहन सिंह जी हैं कल कोई और पीएम होंगे, आडवाणी जी होंगे या नरेन्द्र मोदी जी होंगे, कौन होंगे, निश्चित नहीं है। ये जो गर्दन में फांसी लगा रहे हैं, इसे बचाने की जरूरत है। इसमें कहा कि यह विभाग, वह विभाग छोड़ कर प्रधानमंत्री को ले लिया, प्रधानमंत्री देश का लीडर है। 50 केस कोई न कोई कर देगा, चाहें पांच साल बाद ही करे। अगर प्रधानमंत्री विदेश में गए, तो वहां के शासक बोलेंगे कि अरे ये तो जेल जाने वाला है। अरे इंडिया में तो स्टेबिलिटी नहीं है और देश का प्रधानमंत्री करप्शन में फंसा है। वे हम पर हंसेंगे। हमारा उस समय भारत की क्या सूरत होगी? हमने कहा कि प्रधानमंत्री को बिलकुल इससे बाहर रखा जाए, लेकिन इसमें क्या लिख दिया, क्या कर दिया, यहां चिदम्बरम जी को बोलने ही नहीं दिया जाता है।...*(व्यवधान)* आप लोग हमारी बात सुनिए। यह लास्ट मौका है, फिर पोटा की तरह रिपील करना पड़ेगा, उस समय हम आएंगे या नहीं। लोगों को खराब लगता है, लेकिन हम इसके विरोध में नहीं हैं। यह कोई सशक्त लोकपाल बिल नहीं है। यह बेकार का बिल है और इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। हम लोग इसे बनाएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और हम लोग ने सुझाव दिया था। सुश्री सुषमा जी ने भी सुझाव दिया था सुषमा जी के बारे में ये मत समझिए कि बीजेपी की नेता हैं, ये हमारी पार्टी में थीं। हम लोग इनके साथ थे। हम इसलिए इनके खिलाफ रहते हैं, क्योंकि ये पार्टी बदल कर चली गईं। मैं इनका आदर भी करता हूं।

महोदय, हमारे कुछ और साथी भी इधर चले गए। फुटपाथ से, सड़कों से संसद नहीं चलती है। डिबेट की जगह संसद है। कांग्रेस के एमपीज़, बीजेपी के एमपीज़, सीपीएम के एमपीज़, शिवसेना के एमपीज़ मैं इसलिए बोलता हूं कि देश हमें कभी माफ नहीं करेगा। व्हिप जारी करके आपको कोई पार्टी कहे कि ऐसा करो और सदन में प्रेजेंट रहो, तो गलत काम के लिए कभी ऐसा नहीं करना, नहीं तो इतिहास हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। *[अनुवाद]* हम सक्षम हैं, *[हिन्दी]* लेकिन कहा गया कि लोक सभा

[श्री लालू प्रसाद]

में 180 चोर बैठे हुए हैं। क्या हम चोर हैं? कहते हैं कि गद्दारों से डर है, चोरों से डर है, हम लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। लालू यादव का जन्म सन् 1948 में हुआ, हमारे आने से पहले अंग्रेज यहां से भाग गए।

श्री लालू प्रसाद : एमपीज बोलिए, क्या करेंगे लोग? केस बना। मायावती जी पर 10,000 केस ठोक देंगे। कल मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इन पर केस ठोक देंगे। हम तो एक्सपर्ट हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, हम पर ठोकते ही रहते हैं। न्यायपालिका की स्वायत्तता रहनी चाहिए। सीबीआई को एक इंच भी लोकपाल में नहीं देना चाहिए, कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। लड़ाई होगी। हम हैं, पक्ष में हैं, सशक्त लोकपाल बनाइए। हमें कन्विस कीजिए। अन्ना जी सुन रहे होंगे, अन्ना जी देखिए, यह सशक्त लोकपाल बिल नहीं है। आनन-फानन, जान छुड़ाओ, ऐसे नहीं करना है। आप इसे समझिए, बड़ी मुश्किल से जीतकर आते हैं, दिन भर आदाब-आदाब, प्रणाम-प्रणाम होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आप हमारी बात सुनिए, हम पांच मिनट में खत्म कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं जानता हूं, परंतु कृपया पीठ को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, आगे आपको प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि आप अच्छा संचालन करते हैं। *[अनुवाद]* आप सभा की कार्यवाही बेहतर तरीके से चला रहे हैं। आनन-फानन में नहीं बल्कि एक-एक चीज देखनी चाहिए ताकि सशक्त लोकपाल बिल बने। लोकपाल का असर सिर्फ पोलिटिशियन पर ही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं जो कैंडल जलाने जाते हैं,...*(व्यवधान)* एपार्टमेंट है। एनजीओ है। प्रैस को हटाइए। प्रैस गाली देगा, बोलेगा भी और प्रसारण करेगा कि हम लोग कहते हैं नहीं देंगे लेकिन वह कोई न कोई न्यूज बना ही देता है। इनको मत डालिए, ये क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते हैं, आपका ही प्रचार करते हैं। सिब्बल साहब की कितनी बढ़िया फोटो पेपर में छपती है।...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल जी, मामूली विद्वान नहीं हैं, एक हाथ में दाबकर चलते हैं, सब रोकते रहते हैं।...*(व्यवधान)* ये लोग समझ रहे हैं कि हम ही सरकार को ताने हुए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया विषयांतर न करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आपकी डायरेक्शन हुई है, हम उसका सत्कार करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अन्ना जी के लोग, चाहे किरण बेदी हैं या अन्य लोग हैं, सब सुन रहे होंगे। यह कोई बिल ही नहीं है, बेकार बदनामी होगी। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं – रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय। आप लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिया इसलिए लोग चढ़े रहते हैं। शरद यादव जी और अन्य लीडर बोलने वाले हैं इसलिए मैं अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि इस बिल को वापिस करके लाइए और फिर 10-15 दिन और हाउस बढ़ाइए। इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और ठोक कर सब लोगों से राय लीजिए। आडवाणी जी से राय लीजिए। आडवाणी जी सब बातों को समझ रहे हैं कि किस पर ये सब कुछ लागू होगा। हम विरोध में नहीं हैं। मुलायम सिंह और हम लोगों के मुंह में डाल रहे हैं, मुलायम सिंह, लालू यादव, महाभारत, गरम हो गया, रातभर आपको देखा। मुलायम सिंह ये बात बोले थे कि दरोगा को इतनी पावर हो जाएगी, जैसे एमपी की सिक्योरिटी को धकेल दिया। इस क्रम में बोले थे। हमारा, मुलायम सिंह, और सब पार्टियों की यही राय है। राजनाथ सिंह जी को दबाइए नहीं, वे सही आदमी हैं।

उन्हें बोलने देना चाहिए, उन्हें भाग लेने देना चाहिए। सिन्हा साहब बहुत विद्वान हैं, उनकी और सबकी बात सुनिये, इसको हटाइये। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं। आप इसे ठोक-ठाककर लाइये, अभी ढाई साल तक हाउस है।

यह बात सही है कि माननीय सोनिया गांधी जी का हम लोग आदर करते हैं, वह सैंसिटिव हैं, वह चाहती हैं कि सबकी इज्जत, सबका सम्मान रहे और यह बात बने, भ्रष्टाचार रुके। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जैसे शरद भाई बोलते थे कि डिब्बा खोलना पड़ेगा। आप इसे डेफर करिये। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री असादूद्दीन ओवेसी। पहले मैं उन सभी सदस्यों पर विचार कर रहा हूं जिन्होंने लिखित रूप में सूचना दी है। अन्य को मैं बाद में समय दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ नियम होने चाहिए। उन्होंने लिखित सूचना दी है, इसलिए उन्हें पहले अवसर देना होगा।

[अनुवाद]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मैंने नियम 72(1) के अंतर्गत सूचना दी है। प्रस्तावित विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने के मेरे कारण इस प्रकार हैं। पहले तो यह है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंतर्गत लाकर हम कार्यपालिका की संस्थागत स्वायत्तता को निश्चित रूप से कम करके आंक रहे हैं और उसे कमजोर कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हम पूरी कार्यपालिका से ऊपर अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति का प्रावधान करने जा रहे हैं जो कि किसी के प्रति भी जबावदेह नहीं होगी। इस विधेयक में अवधारणा संबंधी समस्या है। अर्थात्, इसकी शुरूआत इस आधार पर होती है कि केवल इस सम्मानित सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्ट हैं। क्या हम ऐसा परिदृश्य चाहते हैं? आज डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। परंतु, सत्ता किसी के पास सदैव नहीं रहती। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के एक युवा नेता उनका स्थान लेंगे। मुझे आशा है कि, संभवतः राजग सत्ता में आ सकता है; हम उसे रोक नहीं सकते। यह सुनिश्चित करना सत्ताधारी दल का काम है कि इन सबके पीछे क्या है और यह किसके हाथों को बांध रहा है। इस विधेयक के कानून बनने के पश्चात् प्रधानमंत्री का क्या सम्मान होगा?

दूसरा मामला अल्पसंख्यकों को सम्मिलित न करने के बारे में है। हमारे देश की जनसंख्या में 19 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं। क्या यह नैसर्गिक न्याय है कि लोकपाल संस्था में 19 प्रतिशत लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिये? आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात् अब इसे लाया गया है। यहां प्रश्न यह है कि, यदि आपने इस गलती पर ध्यान नहीं दिया तो यह संदेश जायेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भ्रष्टाचार से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। अनुच्छेद 15 और 16 के बारे में बात करके जानबूझकर इस सम्मानित सभा को चतुराई से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इससे भलीभांति परिचित हैं कि अनुच्छेद 15 और 16 का क्या अर्थ है। जहां तक 50 प्रतिशत के प्रश्न का संबंध है मैं माननीय नेता, जिन्होंने इसे उठाया है, से अनुरोध करूंगा कि वे संविधान के अनुच्छेद 381(घ) का अध्ययन करें। यह क्या कहता है? जब लोग यह कहकर विरोध करते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए तो वर्ष 1950 का राष्ट्रपतीय आदेश क्या है, अनुच्छेद 340 में क्या है? क्या यह हमारे संविधान पर काला धब्बा नहीं है?

इसलिए, मैं उपर्युक्त दोनों कारणों से विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं और जारी किए गए इस शुद्धि पत्र का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : सभापति महोदय, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सुषमा जी ने जो सवाल फैडलरिज्म का उठाया, सूबों का उठाया, आप जिस तरह का कानून ला रहे हैं, वह मैनडेटरी है। मेरी आपसे विनती है कि कई सूबों में लोगों ने लोकायुक्त बनाया हुआ है और उस बात को ध्यान में रखकर सुषमा जी ने जो सुझाव दिया है, प्रणब बाबू, इसी समय उस बात को सुधारने का काम होना चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि लोगों ने महीनों, सालों लगकर अपने यहां एक लोकायुक्त बनाने का काम किया है। अब आपके इस मैनडेटरी सवाल के सामने एक संकट खड़ा हो जायेगा और कोर्ट में यह बिल जाए और इसमें गड़बड़ हो तो यह ठीक नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है कि जिन लोगों ने मेहनत कर के लोकायुक्त बनाया है, उनका ख्याल रखते हुए आज का बिल पास करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति जी, पूरा सदन चाहता है कि मजबूत लोकपाल आए। लेकिन मसौदा देखने के बाद लगा कि यह मजबूत लोकपाल बिल नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां है। जब विस्तार से चर्चा होगी तो हम उन पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। इस बिल को लाने से पहले हमें जो परिचालित किया गया, जब हमने देखा कि इसमें दलित, बैकवर्ड, एससी/एसटी, महिला के बाद इसमें मॉइनोरिटी शामिल नहीं की गई थी। मैं बधाई दूंगा कि हम

[श्री दारा सिंह चौहान]

लोगों द्वारा इस सवाल को उठाने के बाद आपने मॉइनोरिटी को इसमें शामिल किया है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जहां तक नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रही थीं, केवल इसमें ही नहीं, आने वाले दिनों में भी अगर कहीं मुस्लिम आरक्षण, मॉइनोरिटी आरक्षण के सवाल पर इस तरह की अड़चन पैदा होती है तो हमारी बहुजन समाज पार्टी यह कहती है कि अगर संविधान में संशोधन करना हो तो बहुजन समाज पार्टी आपके साथ है। अल्पसंख्यक समाज को इसमें और हर क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदय, आज सुबह ही जब यह विधेयक हमें दिया गया तो हमने तत्काल अपने नेता से संपर्क किया और हमारे नेता ने सरकार से अनुरोध किया कि इसमें संशोधन करके इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को सम्मिलित किया जाए और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे इस विधेयक में सम्मिलित करने के लिए हम सरकार को गंभीरता से धन्यवाद देते हैं।

यदि हम लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 72(1) को देखे तो इसमें कहा गया है कि:

> "यदि किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो अध्यक्ष, यदि ठीक समझे तो, प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा:
>
> परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष, उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दी सकेगा।"

इसलिए, सभा के माननीय नेता, श्री प्रणब मुखर्जी, ने ठीक कहा कि विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने से संबंधित इस सवाल पर चर्चा किए जाने की कोई संभावना नहीं है। महोदय, दूसरे परंतुक में कहा गया है:

> "परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष वित्त विधेयक या विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव तुरंत मतदान के लिए रखेगा।"

इसलिए यह सामान्य बात है कि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक को छोड़कर किसी सामान्य विधेयक को पुर:स्थापित करने के संबंध में सभा के विचार जानने की कोई गुंजाइश नहीं है और विधेयक का पुर:स्थापन एक स्वत: प्रक्रिया है और इस पर अन्य वाद-विवाद भी और कुछ नहीं बल्कि सामान्य बात है। यह अकादमी जैसी बात है। इसलिए, महोदय, हमारे नेता श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा नियम 72(1) की व्याख्या में जो कुछ भी कहा गया है कि इस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

सुबह, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि आप उन दलों के सदस्यों को अवसर प्रदान कीजिए जिनके पास सदस्यों का बहुमत है। अध्यक्षपीठ से आप कृपया अपनी ओर से किसी भी, अन्य नेता को अनुमति मत दीजिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह असंगत है।

श्री कल्याण बनर्जी : महोदय, सुबह, ऐसा हुआ है। कृपया पहले नेताओं को, अनुमति मत दीजिये। किसी भी नेता को, जिनकी पाटी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम है, उन्हें अनुमति मत दीजिए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, हमने 35 वर्षों के दौरान देखा है कि हमारे राज्य में किस प्रकार मुसलमानों को दबाया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर) : सभापति महोदय, मेरी पार्टी लोकपाल विधेयक का समर्थन करती है लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि जिस प्रकार से यह विधेयक पुर:स्थापित किया जा रहा है, और जिस नाम से इसे पुकारा जा रहा है, हम लोकपाल विधेयक और लोकायुक्त विधेयक के विरुद्ध हैं। जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने कहा था हमारे पास कानून बनाने की सक्षमता है। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने के नाम पर राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण लोकतंत्र के सिद्धांत और संघीय ढांचे के विरुद्ध है। उस संदर्भ में मैं विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूं। हम लोकपाल विधेयक के पक्ष में हैं लेकिन इसके साथ ही हम लोकपाल विधेयक और लोकायुक्त विधेयक के पक्ष में नहीं हैं।

दूसरी बात, हम कई बार यह मुद्दा उठा चुके हैं कि प्रधानमंत्री

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

का नाम इस लोकपाल विधेयक में सम्मिलित नहीं किया जाए। हमारी पार्टी का यही विचार है। मेरी नेता ने भी कहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय सर्वोच्च कार्यालय है, इसका नाम इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री को इसमें सम्मिलित करने के विरुद्ध हैं।

महोदय, राज्य सरकारों को संघीय ढांचे के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। एक बार पुन: हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें उन शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए यद्यपि हमारे पर ऐसा करने का अधिकार है। हमे राज्य सरकारों तथा राज्य विधायिका, जो वहां पर मौजूद है, का सम्मान करना चाहिए। इसलिए लोकायुक्त के मुद्दे को राज्य सरकारों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। इसे राज्यों की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हम संसद के द्वारा इसे उन पर नहीं थोप सकते हैं। यही हमारा निवेदन है।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा आज सुबह मांग किए जाने के बाद मैं सरकार के दृष्टिकोण का स्वागत करता हूं कि लोकपाल के गठन में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है। इस विधेयक में लोकायुक्त शामिल है और इसका उपबंध जिसका अर्थ यह है कि लोकायुक्त राज्य सरकारों के लिए लाना अनिवार्य बन गया है लेकिन लोकायुक्त का गठन तथा इसके नियमों को राज्य सरकारों पर यह निर्णय करने के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि हम राज्य सरकार की शक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए भारत सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित कर सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपके दल से आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं। मैं एक अन्य सदस्य को अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, हम सभा में सबसे बड़ा दल हैं।*...(व्यवधान)* आपको मुझे एक अवसर देना होगा*...(व्यवधान)* *[हिन्दी]* आप हमें अभी बुलाइए।*...(व्यवधान)* आप हमें इसी वक्त बुलाइए।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं अभी आपको समय देता हूं। *[अनुवाद]* कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मैं उनके बाद आपको अनुमति प्रदान करूंगा।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, यह नहीं चलेगा।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उनसे बोलने के लिए अनुरोध किया जा चुका है।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : सभा के नेता ने कहा है कि हम सभी बराबर हैं। आप इस सभा में सदस्यों से एकसमान व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यहीं समस्या है।*...(व्यवधान)* *[हिन्दी]* मैं कब से आपसे निवेदन कर रहा हूं, कब से मैं आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए।*...(व्यवधान)* यह हम नहीं चलने देंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया बाधा न डालें।

श्री बसुदेव आचार्य

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, हम सदैव मजबूत, प्रभावी और विश्वसनीय लोकपाल के पक्ष में रहे हैं। जब इस पर पिछले सत्र में चर्चा हुई थी तो हमने इस बात की ओर इंगित किया था कि लोकायुक्त के गठन के संबंध में हमारे संविधान के संघीय ढांचे को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। एक सक्षम प्रावधान हो और एक आदर्श अधिनियम बनाया जाए लेकिन इसे राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के साथ छेड़छेड़ नहीं होनी चाहिए। यदि वहां ऐसा उपबंध है तो सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और संशोधन लाना चाहिए ताकि हमारे संविधान का संघीय ढांचा प्रभावित न हो।

मैं सरकार से एक बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह लगभग सभी राजनीतिक दल द्वारा सर्वदलीय बैठक में इंगित किया गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित सभी को आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और ऐसा किया गया है।

एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के पक्ष में हैं।

एक संविधान संशोधन विधेयक परिचालित किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक को पहले अधिनियमित करना चाहिए और इसके बाद लोकपाल विधेयक। हम इस सत्र में ही इस विधेयक पारित होने देना चाहते हैं। इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए। सभा को तीन दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। इन तीन दिनों के दौरान एक सुविचारित चर्चा होगी जिसमें हम कुछ खामियों को इंगित करेंगे। सर्वदलीय बैठक में जो सुझाव हमने दिया उन्हें विधेयक में समाविष्ट नहीं किया गया है। हम अपने संशोधनों को सभा पटल पर रखेंगे और हम उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। हम अपने देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत लोकपाल चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री यशवंत सिन्हा, श्रीमती सुषमा स्वराज पहले ही बोल चुकी हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मुझे दूसरी बात कहनी है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात केवल दो मिनट में कहिए।

श्री यशवंत सिन्हा : श्री लालू प्रसाद जितनी देर तक चाहे बोल सकते हैं लेकिन आप मुझे केवल दो मिनट तक बोलने के लिए कहिएगा। मुझे अपनी बात कहने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, मैं बोलूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आक्षेप न लगाएं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं केवल आपसे न्याय चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आप नियमों की बात कर रहे हैं। हम लोग सुबह से इस सदन में बैठकर इस बिल का इंतजार कर रहे हैं। जब हम 11 बजे यहां आए तो हमने सोचा सरकार की तरफ से बिल आएगा और इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन नहीं हुआ। हमें बताया गया कि दो बजे इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन दो बजे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। उसके बाद साढ़े तीन बजे इंट्रोड्यूस हो रहा है। साढ़े तीन बजे इंट्रोड्यूस होने के समय इनका सप्लीमैंट्री एजेन्डा का जो नोटिस था, वह उस समय दिया जा रहा था। पहले से नोटिस भी नहीं था। उसके बाद यह जो कॉरिजैन्डा आया है, वह कॉरिजैन्डा कब आया है? यह कॉरिजैन्डा तब आया है, जब हम यहां आकर बैठ गए थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : यहां पर कॉरिजैन्डा आया है जब हम यहां आकर बैठ गए थे और आप कह रहे हैं कि नोटिस दो। कब नोटिस देंगे? न सप्लीमैंट्री एजेन्डा है, न कॉरिजैन्डा है, तो कब नोटिस देंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कॉरिजैन्डा देखिये। इस कॉरिजैन्डा में 46 आइटम्स हैं। वे क्या हैं – क्लॉज़ेज़, क्लॉज़ेज़, आप यहां से वहां तक उठाकर देख लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं। *[अनुवाद]* आगे कहा गया है "न्यायालयों को अधिसूचित किया जाए" के लिये "न्यायालयों को गठित किया जाए" पढ़िये; *[हिन्दी]* फिर क्लॉज़ेज़, क्लॉज़ेज; *[अनुवाद]* "परिसंपत्ति, आगम, प्राप्ति और लाभ"; *[हिन्दी]* बैनिफिट्स की स्पैलिंग गलत है, उसको करैक्ट किया है।? *[अनुवाद]* मैं जो बात इसमें कह रहा हूं वह यह कि *[हिन्दी]* जब आप *कॉरिजैन्डटा* या *इरैटा* लाते हैं, तो उसमें आप जो टाइपोग्राफिकल एरर हो गया है, उसको ठीक करते हैं; जहां आपने शब्दों के चयन में गलती है कि, उसको ठीक करते हैं। कॉरिजैन्डा में आप बिल को अमैन्ड नहीं करते हैं। *[अनुवाद]* आप इस विधेयक का संशोधन कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप इस विधेयक को इस शुद्धिपत्र के माध्यम से संशोधन करना चाहते हैं। यह भयादोहन है; यह एक संसदीय प्रक्रिया नहीं है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। सरकार का इस शुद्धिपत्र के माध्यम से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। *[हिन्दी]* कॉरिजैन्डा में जहां इन्होंने माइनॉरिटी जोड़ा है, क्या वह कॉरिजैन्डा है? जहां माइनॉरिटी जोड़ा है, मैं पूछता हूं *[अनुवाद]* कि क्या यह संशोधन नहीं है? यह शुद्धिपत्र नहीं है। *[हिन्दी]* आपको हिम्मत है तो जब बिल आएगा डिसकशन में, उसमें आप ऑफिशियल अमैंडमैंट मूव कीजिए। तब आपकी बात हम मान सकते हैं। कि रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तब बहस होगी। लेकिन आज आप कैसे इसको इसमें जोड़ सकते हैं? आप नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री यशवंत सिन्हा : नहीं, मैंने अपनी बात नहीं कही है। आप मुझे समय दीजिए। *[हिन्दी]* मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं और आपके माध्यम से इस पूरे सदन से निवेदन कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री यशवंत सिन्हा : इस सरकार ने इस विधेयक को लाने में आश्चर्यजनक रूप से अक्षमता दिखाई है। *[हिन्दी]* किसी को कुछ पता नहीं है। सरकार को भी नहीं पता है क्या है? और ठीक है यदि प्वाइंट उठाया गया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए क्योंकि आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : प्लीज, प्लीज, क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* जितना हुआ है, सब गलत है। बेसिक बात इसमें गलत है।...*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। मैं श्री सिन्हा को अनुमति नहीं दे रहा हूं। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको समय दिया है। कृपया अधिक समय न लगाएं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, हम आज इस विधेयक के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय, सदस्यों, कृपया शालीनता बनाए रखें। यह अतिमहत्वपूर्ण कार्य है।

श्री भर्तृहरि महताब : कल इंटरनेट में हमने देखा कि इस विधेयक को वापस लिया जा रहा है और आज, सुबह, हमारे यहां पहुंचने से पूर्व हम यह अपेक्षा कर रहे थे कि इस विधेयक को संसदीय पत्रों के साथ परिचालित किया जाएगा। जब हम यहां पहुंचे तो हमने विधेयक की प्रति को दीर्घा में आते हुए देखा। तदुपरांत, इसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में परिचालित किया जाना था। उसके बाद शाम के करीब 3.30 बजे शुद्धिपत्र परिचालित किया गया था। मेरा सरोकार इस बात से है कि दिनांक 27 अगस्त, 2011 को जब हम सभी ने चर्चा की थी और सभा के नेता ने सभा की राय व्यक्त करने वाले तीन विशेष मामलों का उल्लेख करने वाला वक्तव्य पढ़कर सुनाया था जिसे बाद में, शाम को एक प्रमुख केंद्रीय मंत्री द्वारा अन्ना हजारे तक प्रेषित किया गया था जो कि रामलीला मैदान में अनशन पर बैठे थे तो कम से कम मुझे, मेरी पार्टी बीजू जनता दल को लोकपाल के पद के सृजन के संबंध में हमारे द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से सहमति व्यक्त की थी। मूल मुद्दा जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति समुचित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। परंतु मुझे इस विधेयक से निराशा हुई है जिस पर स्थायी समिति द्वारा वाद-विवाद और चर्चा की गई है और जिस पर अन्ना द्रमुक ने एक पक्ष के रूप में असहमति व्यक्त की है। एक सदस्य ने भी उस समिति में अपनी राय व्यक्त की थी। परंतु बीजू जनता दल संविधान के संघीय ढांचे का सदैव समर्थन करता है। हम संविधान का संघीय ढांचा बनाए रखने का सदैव समर्थन करते रहेंगे। संविधान के संघीय ढांचे को बनाए रखने के संबंध में बीजू जनता दल कभी भी समझौता नहीं करेगा। परंतु यहां इस विधेयक में चूंकि इस अवधि के दौरान एक धारणा रही थी कि आदर्श लोकायुक्त संबंधी पत्र परिचालित किया जाएगा। संविधान में उपबंध है कि यदि दो राज्य लोकायुक्त बनाते हैं और इसे कार्यान्वित करते हैं तो केन्द्र सरकार इसे एक आदर्श के रूप में स्वीकार कर सकती है और इसे अन्य राज्यों को परिचालित कर सकती है तथा इसे कार्यान्वित किया जा सकता है। यदि ऐसी चिंता है कि संबंधित राज्य सरकारें इस आदर्श को व्यवस्था निश्चित समयावधि में कार्यान्वित नहीं कर सकती तो उस उपबंध में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको इस विधेयक का भाग बनाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस विधेयक में, लोकायुक्त लाकर आप राज्य विधान सभा के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। राज्य विधान सभाओं और राज्यों के हित और गरिमा की रक्षा किए जाने की आवश्यकता है और इस सभा में इसे अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए और इस विधेयक के द्वारा वास्तव में राज्य की शक्ति का अतिक्रमण कर रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं केन्द्र सरकार से केवल यह आग्रह करूंगा कि वह कृपया इस विधेयक को चर्चा हेतु लाने से पूर्व इस पहलू पर विचार और पुनर्विचार किया जाये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : सभापति जी, शिव सेना ने लोकपाल का विरोध किया है। शिव सेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे देश के पहले नेता हैं जिन्होंने राजनीतिक लाभ या नुकसान का विचार न करते हुए राष्ट्र हित में, और आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए इसका विरोध किया। हमारा संविधान, हमारी संसद, ये सर्वोच्च है, हम लोकपाल के माध्यम से हमारी संविधान और हमारी संसद को कम आंकने का काम कर रहे हैं। जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली हमने स्वीकार किया है, जिसमें जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर राज करते हैं, उस चुनाव का, उस मतदान का, उस मत का अवमूल्यन करने का काम, उसको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। लोकपाल, जो किसी के प्रति भी एकाउंटेबल नहीं होगा, जिसकी एकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है, उसके हाथ हम सारी पावर देना चाहते हैं। एक तौर पर यह आशंका आज बालासाहब ठाकरे जी के मन में है कि कहीं हम लोकतंत्र से हट कर तानाशाही की ओर तो नहीं जा रहे हैं। यह जो आशंका मन में है और इस पर राजनीतिक तौर से विचार न करते हुए इसे जनता के समक्ष रखने का काम बालासाहब ठाकरे जी ने किया है। मैं आज का ही उदाहरण दूंगा। जबसे इस लोकपाल की बात आयी है, सरकार किस हड़बड़ी में है या सरकार किस बात से डरती है, यह सदन के समझ के बाहर की बात है।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, हम लोकपाल के मेरिट पर नहीं बोल रहे हैं। सभापति जी, लोकपाल का जब बिल आएगा, जब बहस होगी तो उस समय हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस लोकपाल विधेयक को लाने का प्रयास किया गया, आज सुबह से ही यह सुना कि यह ग्यारह बजे आएगा, फिर दो बजे आएगा, फिर साढ़े तीन बजे आ गया, और साढ़े तीन बजे सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में आया है। जो देश का भविष्य बनाने हम जा रहे हैं, उसके लिए सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में जगह है तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार भी अपना मन नहीं बना पाई है। लालू जी ने सही कहा कि आप व्हिप मत लगाइए और लोकपाल को लेकर आइए। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के इरादे से हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करते समय हमसे कोई गलत कदम न उठे कि आने वाले भविष्य हमें माफ न करे, इस संसद को माफ न करे, जिस संसद ने यह कानून बनाया है। यह कानून कहीं ऐसा न हो कि बीमारी से इलाज भारी हो। इसलिए इस पर हड़बड़ी और जल्दबाजी किस बात की है? हमने बार-बार यह कहा है कि लोकपाल जैसा एक कानून जब हम बनाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक सशक्त कानून बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जल्दबाजी किस बात की है? क्या यह जरूरी है कि यह आज की होना चाहिए? क्या यह जरूरी है कि यह कल ही होना चाहिए? जब हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं तो कोई भी कदम हड़बड़ी और जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। हमने इसे स्टैण्डिंग कमेटी में भेज दिया। स्टैण्डिंग कमेटी ने उस पर चर्चा की, उस पर रिपोर्ट आई। उसके बाद कैबिनेट के सामने आया। आज जो पुराना बिल स्टैण्डिंग कमेटी ने हमारे पास अमेन्ड करके, सुझाव देकर भेजा था, उसको तो सरकार ने विथड्रॉ किया और हमारे सामने एक नया विधेयक रखा है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल : यह नया विधेयक नहीं, वही है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : नया नहीं था तो इंट्रोड्यूस क्यों किया?

श्री पवन कुमार बंसल : बात वह कहिए जिस बात का मतलब हो। स्टैण्डिंग कमेटी ने 70 सिफारिशें दीं, इस पर 70 अमेंडमेंट बनती हैं, उन सभी अमेंडमेंट को बार-बार एक ही बिल में लाने की जगह उसको नए फॉर्म में ले आए हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : स्टैण्डिंग कमेटी ने जो एमेंडमेंट करके भेजा था, क्या उसमें माइनॉरिटीज की बात थी?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, हम इतना बड़ा सुपर पावर सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो लोक प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर हम इसे थोपने जा रहे हैं। ऐसे समय में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम इस इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं। सरकार इसे वापस ले और आप सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाएं। आप सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाइए, इस पर चर्चा हो और उसके बाद भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो भी सशक्त कानून लाना है, सरकार जरूर लाए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हड़बड़ी, जल्दबाजी में या किसी भी तरह से किसी के दबाव में आकर यदि हम लोकतंत्र से हट कर तानाशाही की ओर जाना चाहते हैं तो उसका विरोध हम आखिर तक करते रहेंगे, यही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल) : महोदय, देर आए दुरुस्त आए। देश काफी लंबे समय से ऐसे कानून की प्रतीक्षा कर रहा था। किसी भी पक्ष ने किसी भी सरकार से ऐसा विधेयक लाने के लिये नहीं कहा। इसलिए, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के सरकार के इस कदम की सराहना करता – केवल इस कदम की।

मैं आपको बता दूं कि हम यह कार्य दबाव में नहीं करेंगे। हमें संसद की संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहिए। मुझे सभा के नेता का भाषण सुनकर दु:ख हुआ है। सभा के नेता ने किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनशन का उल्लेख किया था। आज पुन: वह आंदोलन के अनशन चरण का उल्लेख कर रहे थे। क्या ऐसा है? क्या हम स्वयं भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और पूरे देश को धमकी दे रहा है। क्या सभा के नेता को सभा में इस प्रकार से बोलना चाहिए?

मैं कांग्रेस और सरकार से अपील करता हूं कि संसद की संप्रभुता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ भी कार्य दबाव में नहीं करना चाहिए।

ऐसा कहते हुए अनेक चिन्तायें हैं। इस विधेयक को असामान्य जल्दबाजी में पुर:स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कई वर्षों से सांसद हूं। परंतु, मैंने ऐसा नहीं देखा है; कार्य सूची में इस विधेयक का कोई उल्लेख नहीं था। आधे घंटे पहले तक भी हमें यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अचानक पूरक कार्य सूची आई। आपको अधिकार है और मुझे अधिकार पर संदेह नहीं हैं। पूरक कार्य सूची आई और इसके पश्चात् सभा में अशांति उत्पन्न हुई; उसके पश्चात् हमें एक शुद्धिपत्र मिला अथवा शुद्धिपत्र के नाम पर एक संशोधन मिला। क्या संवैधानिक रूप से गठित सरकार को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए? यह पूरी तरह संसदीय कुप्रबंधन है, और सरकार जोखिमपूर्ण कार्य कर रही है। सरकार जोखिमपूर्ण कार्य कर रही है। आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं – सरकार देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और हम सब पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी पूर्व पुलिस अधिकारी; किसी पूर्व-नौकरशाह, ऐसे किसी भी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है जो एक दूसरे राष्ट्रपिता होने का दावा करता हो। देश के केवल एक ही राष्ट्रपिता हैं। देश के केवल एक ही राष्ट्रपिता हैं–महात्मा गांधी कोई उनके जैसा बनने का दिखावा न करे।

हम किसी को इसकी अनुमति नहीं देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि यह संसदीय परंपरा नहीं है। हमें किसी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध मसीहा बनने का दिखावा नहीं करने देना चाहिए। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। हर्षद मेहता के मामले में जेपीसी का क्या रहा? 2जी के मामले में जेपीसी का क्या रहा? कांग्रेस भी भ्रष्टाचार से लड़ी, भाजपा भी लड़ी, हम भी भ्रष्टाचार से लड़े। अनेक सांसदों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे। इसलिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी अकेला ही आंदोलनकारी नहीं है। कृपया किसी एक व्यक्ति से मत डरिए। कृपया भूख हड़ताल के अगले चरण से मत डरिए। संसद की संप्रभुता को कम मत होने दीजिये।

महोदय, मेरे दो और विषय हैं।

श्री पी. विश्वनाथन (कांचीपुरम) : यह मीडिया की देन है। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त : जी, हां, मैं समझता हूं और इससे सहमत भी हूं कि यह मीडिया की देन है परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मीडिया को कॉर्पोरेट घराने का समर्थन प्राप्त है। यह कॉर्पोरेट घराने द्वारा समर्थित मीडिया की देन है। परंतु मेरा मानना है कि इस देश में भ्रष्टाचार का स्रोत काला धन और कॉर्पोरेट घराने हैं। कॉर्पोरेट घरानों को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है? उन्हें इस विधेयक में सम्मिलित करना चाहिये? सबसे पहले मेरा यही कहना है।

दूसरे, देश की संघीय व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।

तीसरे, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। वह सरकार में अथवा सरकार से बाहर किसी भी हैसियत का हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। कानून प्रत्येक के लिए एक जैसा होना चाहिए भले ही वह संसद सदस्य, प्रधानमंत्री अथवा विपक्ष का नेता हो। कानून की नजर में हर कोई बराबर होना चाहिए।

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : धन्यवाद, सभापति महोदय। हमारी पार्टी और हमारे नेता नर चंद्रबाबू नायडू जी शुरू से ही एक सशक्त और प्रभावी लोकपाल विधेयक चाहते थे। *[हिन्दी]* जहां तक, अभी जल्दबाजी की जो बात चल रही है, यह कोई जल्दबाजी नहीं है। 40 साल से इस देश में लोकपाल बिल के बारे में लोगों के अन्दर चर्चा है। पिछले 1968 से लेकर आज तक लोकपाल बिल के बारे में कई पार्लियामेंट निकल गईं, मगर वह बिल बाहर नहीं आया, मगर 15वीं लोक सभा में यह सब नहीं होना चाहिए। अभी देश की जनता देख रही है, अभी इण्डियन पीपुल की जो प्रेजेण्ट सिचुएशन है, उसमें वे सब लोग वाच कर रहे हैं कि आज के दिन हम लोग जरूर स्ट्रॉंग और इफैक्टिव लोकपाल बिल लाएंगे, यह जरूर लाना चाहिए। अभी लीडर ऑफ दि हाउस ने अपनी बात बोलने के समय में *[अनुवाद]* मैं उद्धत करता हूं: "पारित करना अथवा नहीं करना सभा के सदस्यों पर निर्भर है।" जी, हां यह सही है।

[श्री नामा नागेश्वर राव]

[हिन्दी]

हम लोगों की इंटेंशन इस बिल को पास करने के लिए होनी चाहिए। स्ट्रौंग एण्ड इफैक्टिव लोकपाल बिल को पास करने के लिए हमारा मन होना चाहिए। अगर कहा जाये तो सरटेन इश्यूज़ जो अभी आये हैं, लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने जो रेज़ किये हैं, उन पर पाइंट्स को कवर करते हुए जरूर स्ट्रौंग एण्ड इफैक्टिव लोकपाल बिल लाना चाहिए। उस के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया सभा में शांति बनाए रखें। मंत्री जी आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : सभापति महोदय, मैं वाद-विवाद के गुण दोषों पर नहीं जाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के गुण दोषों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। चर्चा के दौरान इन्हें सम्मिलित किया जायेगा। सर्वप्रथम, मैं यह आश्वासन देना चाहूंगा कि अनुचित जल्दबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं है। देश एक या दो दिनों से नहीं बल्कि 40 वर्षों से लोकपाल विधेयक की प्रतीक्षा कर रहा है। अनेक सरकारें आई और गईं। वर्ष 2001 तक में भी मेरी अध्यक्षता में कार्यरत एक समिति के एक प्रतिवेदन ने लोकपाल विधेयक की सिफारिश की थी। उस समय राजग की सरकार थी। प्रतिवेदन प्राप्ति के दो वर्षों के बाद तक वह कतिपय कारणों से विधेयक नहीं ला सके। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। सच यह है कि अनेक सरकारों ने अनेक बार उच्च पदों पर भ्रष्टाचार से निपटने हेतु प्रभावी लोकपाल अथवा लाने जैसे किसी संगठन बनाने का प्रयास किया। जहां तक वर्तमान घटनाओं का संबंध है तो अकस्मात कुछ माननीय सदस्य आए और यह कहने लगे कि *[हिन्दी]* जल्दबाजी मत करो। *[अनुवाद]* अप्रैल से यह प्रयास चल रहे हैं।

सिविल सोसाइटी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। सरकार ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता समिति गठित की थी। अनेक बैठकें हुईं जून के महीने से पिछले महीने तक सभी राजनीतिक दलों की चार बैठकें हुईं। एक या दो बैठकें नहीं बल्कि चार बैठकें हो चुकी हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं।

दिनांक 27 अगस्त, 2011 को संसद की दोनों सभाओं में चर्चा हुई थी। कोई दबाव की बात कर रहे थे परंतु दबाव का प्रश्न ही कहां है? जो कोई मुझे मजबूत होने की सलाह दे रहे हैं उन्हें अपने राजनेताओं को सलाह देनी चाहिए। वे गए और श्री अन्ना हजारे के धरना मंच पर बैठे। कृपया इस पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने वहां पर क्या कहा?

इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि यह अनुचित जल्दबाजी नहीं है। संभवत: उस दिन की कार्यसूची प्रस्तुत करने और अनुपूरक सूची जारी करने में विलंब की सामान्य विधायी प्रक्रिया में असंतुलन हुआ होगा। परंतु उसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। आप सभी ने कहा है कि आप इस की अपेक्षा ग्यारह अथवा बारह बजे से कर रहे थे। अत:, ऐसी आकांक्षा थी। ऐसे कुछ मुद्दे और समस्याएं रही थीं जिनका हमें समाधान करना था।

श्री यशवंत सिन्हा ने सही कहा है कि एक शुद्धि पत्र में सामान्यत: तथ्यात्मक त्रुटियों, संपादकीय गलतियों, वर्तनी संबंधी गलतियों अथवा कभी-कभी तथ्यात्मक गलतियों को सम्मिलित किया जाता है। यह एक तथ्यात्मक त्रुटि है। मूल प्रस्ताव अल्पसंख्यकों को सम्मिलित करने के बारे में था। तत्पश्चात् हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ कुछ परामर्श किया था।

विधेयक की संवैधानिक वैधता के बारे में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह विधिक रूप से मान्य अथवा अनुसमर्थनीय है। तत्पश्चात् इस पर और विचार किया गया था। तत्पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि हम विनिर्णय के बारे में चर्चा न करें और न्यायपालिका को ही इसका फैसला करने दें कि क्या यह संवैधानिक रूप से विधिमान्य होंगे अथवा नहीं।

संसद की विधायी सक्षमता के अंतर्गत अनेकों कानून पारित किए गए हैं जिन पर हमने निर्णय लिए हैं। कभी-कभी उन्हें उच्चतर न्यायपालिका द्वारा संविधान बाह्य घोषित किया गया है। कभी-कभी हमने उनके विनिर्णय को देश के कानून के रूप में स्वीकार किया है और कभी-कभी हम उस कानून में संशोधन करने के लिए संसद में आए हैं। कुछ भी निर्देशित नहीं किया जा रहा है।

हम इस सभा के सभी 543 सदस्य अन्तत: यह निर्णय लेंगे कि इस लोकपाल की परिणति क्या होगी। इसका निर्णय मैं नहीं

लूंगा। मैं 543 सदस्यों में सम्मिलित हूं। आप सभी सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि आप कौन से खंड, धाराओं और उपबंधों को रखना चाहते हैं। परंतु कृपया सरकार पर आरोप मत लगाइए जिसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है।

यदि आप यह महसूस करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है तो इसे मत अपनाइए। ऐसा इसलिये है क्योंकि विधेयक को और किसी को नहीं बल्कि संसद द्वारा पारित किया जाना है। संसद का विधान और अधिकार क्षेत्र विद्यमान है। आंदोलन की धमकी अथवा सड़कों पर धरना मंच पर विधान नहीं बनाया जाता है।

कृपया याद रखें तथा यह नहीं भूलें कि 27 अगस्त, 2011 को सभा की इच्छा क्या थी। आपने तीन चिंताओं के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त की है जिसके बारे में श्री अन्ना हजारे ने कहा – निचली नौकरशाही को समुचित तंत्र के माध्यम से लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए; नागरिक चार्टर लोकपाल का हिस्सा होना चाहिए और लोकायुक्त को लोकपाल का हिस्सा होना चाहिए। यह सभा की इच्छा थी...*(व्यवधान)*

मैं श्री भर्तृहरि महताब को बताना चाहता हूं, कि समुचित तंत्र लोकपाल के अधीन निचली नौकरशाही को रखे जाने से संबंधित था। यह ऐसी शब्दावली थी जो लोकपाल के संदर्भ में समुचित तंत्र के साथ प्रयोग की गयी थी न कि लोकायुक्त के साथ।

इसलिए यह सोचा गया कि लोकायुक्त लाया जाना आवश्यक है। जो संवैधानिक बिन्दु उठाया गया है, का समाधान किया जाएगा। यही कारण हे कि खंड 4 की धारा-I में यह कहा गया है कि इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं को अलग-अलग तिथियों को अधिसूचित किया जाएगा। इसे भाग-III में रखा गया है। जब अधिसूचना के माध्यम से इसे कार्य रूप दिए जाने का प्रश्न उठेगा तो उस समय, इस मुद्दे पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, इसी कारण मेरा सादर निवेदन है कि हमें यह विधेयक पुर:स्थापित करना चाहिए। हम पुर:स्थापित किए जाने के लिए आवश्यकता से अधिक वाद-विवाद कर चुके हैं। सामान्यतया, पीठ द्वारा एक संक्षिप्त वाद-विवाद की अनुमति दी जाती है। जैसाकि श्री कल्याण बनर्जी ने सही मुद्दा उठाया है कि नियमानुसार हम इस पर संक्षिप्त चर्चा कर सकते थे। परंतु आपने विस्तारपूर्वक चर्चा की अनुमति दी और यह सही भी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हमें सामूहिक रूप से इस विधेयक को पारित करना चाहिए। समूचा देश हमारी तरफ देख रहा है कि किस प्रकार का लोकपाल विधेयक हम बनाने जा रहे हैं। यदि आप यह पाते हैं कि कमियां और त्रुटियां हैं, आप इसे संशोधित कर सकते हैं और इसे बदल सकते हैं। इस विधेयक को इस सभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाना है। अधिकांश सदस्यों को उनके पक्ष या विपक्ष में बटन दबाना होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विधेयक को मत-विभाजन के द्वारा पारित करवाया जाए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : जब पार्लियामेंट के मेम्बर तय करेंगे, तो व्हिप को हटाइए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : आप बताइए कि कौन व्हिप दिया?

श्री लालू प्रसाद : व्हिप मत दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : और चर्चा नहीं होगी। आपने पहले ही काफी समय ले लिया है। प्रश्न यह है:

"कि कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों के बारे में जांच करने के लिए संघ के लिए एक लोकपाल तथा राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. नारायणसामी : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 04.58 बजे

सरकारी विधेयक – पुर:स्थापित – *जारी*

(तीन) संविधान (एक सौ सोलहवां संशोधन) विधेयक, 2011** (नए भाग चौदह ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 22ख पर विचार करेगी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.12.2011 में प्रकाशित।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि:

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी. नारायणसामी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 04.59 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में कृषि संकट तथा किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी है जिसका सामना आज करोड़ों किसान कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

कृषि क्षेत्र में संकट है। यह ऐसा संकट नहीं है जो हाल में उभरा।

अपराह्न 05.00 बजे

यदि आप आज के कृषि संकट को देखें तो हमें इस संकट की शुरूआत का विश्लेषण करना होगा। पिछले दो दशकों के दौरान, 1991 से जब भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार आरंभ किए गए थे हमने देखा कि किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। 1991 से पहले हमने इतनी बड़ी संख्या में किसानों द्वारा आत्महत्या नहीं देखी थी। किसानों द्वारा आत्महत्या की कुछ घटनाएं हुई थीं। परंतु 1995 के बाद हमारे देश में किसानों द्वारा बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की गयी हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसे आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं पिछले सप्ताह से ही इस मुद्दे को उठाए जाने का इंतजार कर रहा था...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा 'शून्य काल' पर चर्चा आरंभ करेगी।

श्री रामकिशुन।

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, भारत के कामगार विदेशों में काम करने जाते हैं, खास तौर से खाड़ी के देशों में उनका वीजा, पासपोर्ट जो कम्पनियां ले जाती हैं...*(व्यवधान)* मैं जीरो ऑवर में बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : केवल एक ईशू पर बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री रामकिशुन : मैं केवल एक ईशू पर ही बोल रहा हूं।

रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से किसानों के बेटे, गरीब लोग खाड़ी के देशों में काम करने जाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इसे अगली बार कब उठाया जाएगा?

सभापति महोदय : इस पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। हम इसे प्राथमिकता देंगे। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[1]**श्री बसुदेव आचार्य** : इसे आज अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत चर्चा में सब लोग बोलना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : केवल आप ही नहीं बल्कि सरकार भी इस मामले पर चर्चा कराने को इच्छुक थी। इस तथ्य के बावजूद हमने यह स्वीकार किया कि केवल इसी आधार पर सभा को कल कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। फिर भी हमने इसे स्वीकार किया और हम इस चर्चा के लिए तैयार थे। लेकिन सभा में उपस्थित माननीय सदस्य और क्योंकि इसके बाद हम 4 दिनों के लिए बैठक स्थगित कर रहे हैं यह चाहते थे कि 'शून्य काल' के मामले उठाये जाएं। इसलिए इसे उठाया गया है और जब भी ऐसा अवसर होगा और यह आवश्यक नहीं है कि अगले तीन दिनों में हो क्योंकि उस समय अन्य कार्य को उठाया जाएगा। इसे अगले सत्र में उठाया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या हमें इस चर्चा के लिए अगले सत्र की प्रतीक्षा करनी होगी?...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : शायद, हां। हम देखेंगे लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह चर्चा 27 या 28 या 29 तारीख को होगी। हम इसके लिए तैयार थे। आप सभा में उपस्थित माननीय सदस्यों से पूछ सकते हैं। आप इसके लिए अध्यक्षपीठ या सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ऐसा कहना उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम अगली बार जारी रखेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आप सभा की राय ले सकते हैं और आप निर्णय भी ले सकते हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमने राज्य सभा में इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और इसके बाद माननीय सदस्य इस पर यहां चर्चा चाहते हैं मैं उस मामले को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हमने इसे यहां भी स्वीकार कर लिया है। आप सभा की राय ले सकते हैं।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा और माननीय सदस्यों ने मुझसे भी कहा कि वे अपने 'शून्य काल' के मामलों को उठाना चाहते थे...*(व्यवधान)*

महोदय, सदस्य यह भी चाहते हैं कि सभा को सायं 6.00 बजे स्थगित कर दिया जाये। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस तरह लोक सभा किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर पायेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसने कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती? यह केवल समय का प्रश्न है। सभी सदस्यों को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, तो आप एक दूसरा निर्णय ले सकते हैं। कोई 'शून्य काल' न हो और सदस्य यह चर्चा जारी रहने दें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा की क्या राय है? क्या हम चर्चा जारी रखें या 'शून्य काल' को लें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन : सभापति जी, आप जीरो ऑवर ले लीजिए। ...*(व्यवधान)* यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है।...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।...*(व्यवधान)* आप इसके बाद नियम 193 पर चर्चा कराइये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम किसानों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। 'शून्य काल' को बाद में लिया जा सकता है। हम दो घंटे के लिए चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए। कृपया मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिये। सायं 6.00 बजे तक हम चर्चा जारी रखेंगे और तत्पश्चात् सायं 6.00 बजे हम 'शून्य काल' लेंगे। श्री आचार्य अब आप जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन : सभापति महोदय, आपने हमें बोलने के लिए बुलाया है।...*(व्यवधान)* यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है।...*(व्यवधान)* खाड़ी के देश में हमारी भारतीय फसल...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया जारी रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 2,57,996 किसानों ने आत्महत्या की है। हम इन आकड़ों को प्रत्येक आठ वर्षों में बाटें। वर्ष 1995-2002 की अवधि ऐसी है जब किसानों ने आत्महत्या करनी शुरू की थी। वर्ष 2003-2010 के दौरान हम पाते हैं कि किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की संख्या पहले आठ वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या से अधिक है। इतने अधिक किसानों ने आत्महत्या क्यों की है?

अपराह्न 5.08 बजे

[श्री इन्दर सिंह नामधारी *पीठासीन हुए*]

ऐसा क्यों है कि आत्महत्या की 90 फीसदी घटनाएं केवल पांच राज्यों में घटित हुई? केवल महाराष्ट्र में 50,000 किसानों ने आत्महत्या की है। दूसरा स्थान कर्नाटक का है। कर्नाटक में इस अवधि के दौरान 41,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है जहां लगभग 39,000 किसानों ने इस अवधि में आत्महत्या की है।

सभापति महोदय : श्री आचार्य कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, मैं चेयर को ही एड्रैस कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं।...*(व्यवधान)* *[हिन्दी]* अगर सरकार एश्योरेंस दे कि इस विषय को 27 तारीख को टेकअप करेंगे...*(व्यवधान)* आप एक दिन यानी 27 तारीख को इस पर चर्चा करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे कार्य मंत्रणा समिति में उठाएं। आपको आवश्यक प्रत्युतर वहां मिलेगा।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं की सराहना करता हूं। मैं इस मामले के महत्व को समझता हूं। इसलिए हमने इसे उठाने के लिए स्वीकार किया था। चूंकि मैंने अनुभव किया है कि सदस्य वास्तव में इसे उठाने में इच्छुक नहीं हैं बल्कि 'शून्य काल' के अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों को उठाने की इच्छा रखते हैं मैंने कहा था और मैं केवल इसे दोहरा सकता हूं कि जैसे ही और जब भी हमें समय मिलेगा तो हम इसे उठाना चाहेंगे। परंतु प्राथमिकताएं होती हैं जिनके बारे में निर्णय लेना पड़ता है। हम इसे चर्चा के लिये ले सकते हैं। इस मामले पर मैं और क्या कह सकता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप आश्वासन दें कि 27 तारीख को आप इसे दो घंटे के लिए उठाएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : यह विषय महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मैं यह कहना चाहता हूं। मैंने माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहा। सरकारी कार्य के बाद, जिस पर 27 और 28 तारीख को चर्चा होनी चाहिए, यदि 29 तारीख को हमारे पास समय बचा तो हम इस पर 29 तारीख को चर्चा करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप इस पर 27 तारीख को चर्चा करेंगे। न कि 29 तारीख को। इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया जारी रखें। उसका फैसला बाद में किया जाएगा। श्री बंसल, कृपया इसे 27 तारीख को इसे समायोजित कर लीजियेगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : हम इसे 27 तारीख को नहीं ले सकते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : 28 तारीख के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री पवन कुमार बंसल : मैं 28 तारीख के बारे में नहीं कह सकता। 29 तारीख को, सभी आवश्यक सरकारी कार्य समाप्त हो जाने के बाद, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।...*(व्यवधान)* सदैव ऐसा होता रहा है। सभा के कुल समय का 60 प्रतिशत कार्यवाहियों में व्यवधान में ही बर्बाद हो गया है। कुछ सरकारी कार्य करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। कई महत्वपूर्ण विधान हैं, जिन्हें लाया जाना है। ये भ्रष्टाचार-विरोधी कानून हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : किसानों के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : हमने इसे कर लिया है। यही कारण हे कि इसे सूचीबद्ध किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : 27 और 28 तारीख को क्यों नहीं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आचार्य, आपके पास जितना भी समय है, वह भी बर्बाद हो रहा है। इसका क्या उपयोग है? कृपया आप बोलिए। इसके बाद उसका फैसला होगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यदि श्री आचार्य 29 तारीख को यहां उपस्थित नहीं होंगे, तो हम उनको आज ही सुन सकते हैं। फिर, हम 'शून्यकाल' पर चर्चा से शुरू कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं। इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे खेद है, वे बार-बार 'प्राथमिकता' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी हम इस मुद्दे को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। हम इस विषय को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि मंत्री महोदय सुबह से अब तक यहां बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* आप किस बारे में तर्क दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह सरकार की प्राथमिकता नहीं है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 5.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

पाकिस्तान से पलायन करके आने वाले हिन्दुओं के पुनर्वास की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति जी, हमारे देश के मजदूर खाड़ी के देशों में काम करने जाते हैं। कम्पनीज उन्हें वहां काम कराने के लिए ले जाती हैं और उनका वीजा बनवाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि कई राज्यों से रोजगार की तलाश में किसानों के बेटे खाड़ी के देशों में जाते हैं। अभी तीन-चार महीने पहले कुवैत में भारत के 70-75 नागरिक काम करने गए थे। वहां की एक कम्पनी उन्हें यहां से ले गई थी। उस कम्पनी ने ही उन लोगों का वीजा और पासपोर्ट बनवाया और अपने पास जमा कर लिया। वह कम्पनी बाद में जैसा कि पता चला कि डिफाल्टर हो गई। मैं इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी को भी पत्र लिखा था। इसके अलावा मैंने कुवैत स्थित भारतीय राजदूत से भी सम्पर्क साधा था और बताया था कि कुवैत में एक कमरे में हमारे देश के 70-75 मजदूर कैद पड़े हैं। जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है, उसे वहां की सरकार के सिपाही गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। हमारी आपके माध्यम से भारत से मांग है कि जो मजदूरों-किसानों के बेटे काम करने के लिए खाड़ी के देशों या अन्य देशों में जाते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। खाड़ी के देशों, खासकर कुवैत में हमारे उत्तर प्रदेश के मेरे जनपद के कई ऐसे मजदूर वहां फंसे हुए हैं। इसलिए भारत सरकार उन्हें वापस बुलाने का काम करे, क्योंकि वहां उनके सामने भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं, खाने का सामान नहीं है। वहां की सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि उनके ऊपर पैनल्टी लगा रही है। भारतीय मुद्रा के हिसाब से उन पर प्रतिदिन

[श्री रामकिशुन]

5000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। मैंने कई बार विदेश मंत्रालय से इस बाबत सम्पर्क किया, लेकिन भारत सरकार कान बंद करके बैठी हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो भारतीय विदेशों में काम करने जाते हैं, उनकी वापसी की गारंटी होनी चाहिए। कुवैत में जिन लोगों का वीजा जब्त कर लिया गया है, उनके साथ शोषण और अत्याचार हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारा विदेश मंत्रालय कुवैत स्थित भारतीय राजदूत को तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करने का आदेश दे और भारत से गए जो लोग हैं, उन्हें वापस लाया जाए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदय, मैं शून्य काल में इस महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं लोक सभा की वाद-विवाद पुस्तक में से कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा, जब उस वक्त इस विषय पर चर्चा हुई थी, तब ये बातें कही गई थीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और वह कुछेक लाइन पढ़कर तथा संक्षेप में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय : क्या कोई कविता है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जी, नहीं।

"हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें। किस तरह से जीने का अधिकार शायद दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। जीने का अधिकार यह है महत्वपूर्ण कि हिन्दुस्तान का मुसलमान जिएं और पाकिस्तान का हिन्दू जिएं। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिन्दू पाकिस्तान के नागरिक हैं इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिन्दू चाहे जहां का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्त्तव्य है, जितना हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमान का। तो यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है, यह व्यर्थ है। इस मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीवन की सुरक्षा हमें सबको देनी है।"

ये बातें डॉ. राम मनोहर लोहिया ने इसी सदन में 3 अप्रैल, 1964 में चर्चा के दौरान कही थीं। मैंने इसलिए इसे उठाया है कि लोग यह न समझें कि यह विश्व हिन्दू परिषद् या संघ परिवार की दृष्टि है या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि है। डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्व के विख्यात समाजवादी नेता थे। उन्होंने इस प्रश्न को उस समय उठाया था। आज यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के कुछ हिन्दू नागरिक हिन्दुस्तान आए हुए हैं। उनके वीजा की अवधि खत्म हो गई है, वे लोग यहां मजनूं का टीला पर दिल्ली में बसे हुए हैं।

सभापति महोदय : हुक्मदेव जी, एक मिनट के लिए आपको टोकूंगा। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी इश्यू की है और सरकार से पूछा है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सरकार को कुछ आदेश दिया जाए और कहा जाए कि उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाए।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अगर किसी तरह का निर्देश है, जो पाकिस्तान के हिन्दू आए हैं, यहां रुके हैं, उनका वीजा खत्म है और वे वापिस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनको जान-माल, अपनी संस्कृति और धर्म का खतरा है। जिस तरह से हिन्दुस्तान में हम मुसलमान को पूरी तरह से अपना भाई मानते हैं और उनके हर अधिकार के सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, तो उसी तरह पाकिस्तान में जो हिन्दू हैं, उन हिन्दुओं को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कृत्य करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है, तो भारत सरकार को उस तरह उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिस तरह से हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमानों को हम सुरक्षा देते हैं। पाकिस्तान के हिन्दुओं के लिए या भारत के बाहर दुनिया में कहीं भी हिन्दू बसे हुए हों, उनके सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकार में अगर खलल पड़ती हो, तो भारत सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें उनका अधिकार दिलाना चाहिए। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन मेघवाल, श्री गोविंद प्रसाद मिश्र और श्रीमती जयश्रीबेन पटेल अपने को श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

बंसल जी, क्या आप इस विषय पर कुछ रिस्पोंड करना चाहेंगे?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं चीजों पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देता। लेकिन चूंकि आपने खड़ा होने को कहा है, मैं इतना ही कह सकता हूं

कि मैं इस विषय को माननीय गृह मंत्री को भेजूंगा। वे इस विषय की जांच करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सुरेश काशीनाथ तवारे – उपस्थित नहीं।

श्री एस. सेम्मलई।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपको धन्यवाद।

मैं माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान छोटी बचत संबंधी एजेंटों के कमीशन की राशि में कटौती के कारण उनकी दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था मुख्यत: बचत पर आश्रित है। इसलिए, लोगों के बीच बचत की आदत को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। डाकखाना सेवा बचत का महत्वपूर्ण स्रोत है। लघुबचत के एजेंट इस योजना की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। उनकी एजेंसी सेवा के लिए कमीशन की राशि बहुत ही छोटी राशि है। वे जमाकर्त्ता और डाकखानों के बीच मुख्य संपर्क सूत्र का काम करते हैं। यद्यपि यही तथ्य है लेकिन सरकार ने हाल ही में पहली दिसम्बर से कमीशन की राशि को कम कर दिया है। पांच लाख से अधिक एजेंट पूर्णकालिक एजेंट के रूप में इस कार्य में लगे हुए हैं। उनमें से अधिकांश गृहणी महिलाएं हैं। इस क्षेत्र में अपनी सेवा देने के लिए अधिक कमीशन देकर उनकी पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों के आधार पर कमीशन कम कर दिया गया है। पूर्व में उन्हें एक प्रतिशत का कमीशन मिलता था। अब कम करके आधा प्रतिशत कर दिया गया है। आखिरकार इस आधे प्रतिशत से राजकोष में कितनी राशि जमा हो जाएगी? यदि सरकार एक प्रतिशत देती है तो इसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

इसलिए, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। मैं उनसे इस विषय पर ध्यान देने की तथा कम से कम जो उन्हें पहले मिलता था वह कमीशन पूर्ववत लागू करने का अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पर उचित विचार करके इस वास्तविक मांग को पूरा करेंगे।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, मैं एक ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूं जिससे देश की संप्रभुता ही खतरे में पड़ गई है। यह पूर्वोत्तर-क्षेत्र, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश सीमा, में चीनी हमले के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश की पूरी सीमा पर चीन अपनी सैन्य-शक्ति और प्रत्येक चीज बढ़ा रहा है। उसने वहां आधुनिक सड़कों और हवाई पट्टियां बना ली हैं। जहां तक हमारे सैन्यकर्मियों का संबंध है, ऐसा नहीं है। हमें बहुत नुकसान हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और समाचार पत्रों में एक समाचार आया था कि चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तवांग सीमा में प्रवेश कर लिया है। इसने तवांग सीमा पर बनी दीवार को तोड़ दिया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हम पूर्वोत्तर-क्षेत्र से आते हैं। 1962 का हमारा अनुभव बहुत कड़वा रहा है। उस समय 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' का नारा लग रहा था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने असम तथा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दिया था। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। हमारी सेना को बहुत सावधान रहना चाहिए। इसे भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार चीनी सेना सीमा पर कर रही है। हमारी सरकार हमारे रक्षा मंत्री को इसका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए, मैं इस अत्यंत गंभीर विषय को सभा के संज्ञान में लायी हूं।

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : महोदय, देश में कई कंपनियों द्वारा निवेश पर अच्छा लाभांश एवं ब्याज देने के वायदे करके करोड़ों रुपए इकट्ठा कर कंपनियों के गायब होने की घटनाएं कई सालों से हो रही हैं।

सभापति महोदय : खासकर राजस्थान में ज्यादा हो रही हैं।

श्री इज्यराज सिंह : महोदय, मैं वही कह रहा हूं। अभी हाल ही में राजस्थान में गोल्डसुख ट्रेड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी द्वारा आम आदमी से 300 करोड़ रुपया इकट्ठा करके गायब हो गई। इस कंपनी के डायरेक्टर फरार हैं। आज आम आदमी इसलिए इन कंपनियों में निवेश करता है क्योंकि सरकार पंजीकरण करती है एवं कई कानूनों द्वारा इन पर नजर रखती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं और मुझे बताते हुए खेद हो रहा है कि इस प्रकार की कंपनियों पर जिस प्रकार की निगरानी होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है। इस कंपनी ने पूरे देश में डेढ़ लाख लोगों को ठगा है। इसके कार्यालय पर ताले लगे हैं। इस कंपनी के सोने की चार स्कीम पर लोगों ने विश्वास किया और लोग फंसे। इस कंपनी के पास क्वालिटी सर्विस, सर्राफा एसोसिएशन पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं आयकर के सभी कागज हैं। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय जयपुर में है, 12 शहरों में शाखाएं

[श्री इज्यराज सिंह]

हैं और कई जगह शोरूम हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में इस कंपनी द्वारा 12,000 निवेशक धन के ठगे जाने पर सकते में हैं, बड़े आक्रोश में हैं। कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को तंग करने के बजाय निवेश हुई संपत्ति जब्त करना चाहिए एवं किस प्रकार धन वापिस लाया जाए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जनता की निवेश की गई पूंजी की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए, इस पर पहल होनी चाहिए। इस कंपनी के निदेशकों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इनके बारे में आधुनिक तकनीक से पता लगाया जा सकता है। मैं सदन का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की कंपनियों के पंजीकरण और प्रमाणीकरण को बेहतर करने के लिए पालिसी बनाई जाए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इनसिफिलाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 35 जिले और देश के 26 राज्य प्रभावित हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1978 से लगातार इस बीमारी से मौतें हो रही हैं। एक अनुमान के अनुसार अब तक एक लाख मासूम बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं और लगभग इतने ही शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हुए हैं। यह केवल पिछले सात वर्षों के पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। मैं सात जिलों के आंकड़े इस सदन को बताना चाहता हूं। मैंने पिछले वर्ष 31 अगस्त को कालिंग अटैंशन प्रस्तुत किया था, इस संबंध में माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि इनसिफिलाइटिस से 2005 में 6061 मरीज भर्ती हुए जिनमें से 995 की मौतें, वर्ष 2008 में 3015 मरीज भर्ती हुए जिनमें 684 की मौत, वर्ष 2009 में 784 की मौत हुई। मेरे पास बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के पिछले और इस वर्ष के आंकड़े हैं जिनके अनुसार वर्ष 2010 में 3503 मरीज भर्ती हुए, 514 की मौत हुई। इस वर्ष अब तक 3275 मरीज़ भर्ती हुए हैं जिनमें से 618 की मौत हो चुकी है। मैं लगातार 13 वर्षों से इस सदन में इस मुद्दे को उठा रहा हूं! आप भी पिछले ढाई वर्ष से देख रहे होंगे कि कोई सेशन नहीं है जिसमें मैंने इस सदन में इनसिफिलाइटिस के उन्मूलन और प्रभावी रोकथाम के लिए कदम उठाने की लगातार मांग न की हो। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बीमारी देश के 26 राज्यों में और प्रदेश के 35 जिलों में मासूम बच्चों को निगल रही है उसे केंद्र सरकार मात्र राज्य का विषय बनाकर इस देश के भविष्य के साथ सीधे-सीधे खिलवाड़ कर रही है। यद्यपि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष जी ने कालिंग अटैंशन की बात कही थी लेकिन मुझे संसद की कार्यवाही बाधित होने के कारण अवसर नहीं मिला है। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय : आपके कहने से और महत्वपूर्ण हो गया है।

योगी आदित्यनाथ : 2010 में मेरे कालिंग अटेंशन पर माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने जो आश्वासन मुझे दिये थे, उन आश्वासनों को अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में इस बार दवा के अभाव में मासूस बच्चे मरे हैं, लेकिन वहां आज तक रिहैबिलिटेशन सेन्टर प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो महामारी इस बार उत्तर प्रदेश के 35 जिलों और देश के 26 राज्यों में हैं, वह केवल एक राज्य का विषय नहीं है। उसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए और इसके उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना तत्काल लागू की जाए।

मेरी दूसरी मांग है कि गोरखपुर में जो वायरल रिसर्च सेंटर है, उस वायरल रिसर्च सेंटर को उच्चीकृत किया जाए। क्योंकि पिछले 33 वर्षों से वायरस का पता नहीं लग पाया है। वहां पर जब भी हम लोग इस बारे में पूछते हैं तो कोई जे.ई. कहता है, कोई वी. ई. कहता और कोई ए.ई.एस. के नाम पर भरमा देता है, इस तरह से वहां पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस भंवरजाल में फंसा हुआ है कि वायरस कौन सा है। वहां मासूम मर रहे हैं, तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। अभी भी वहां मौतें हो रही हैं। लगातार चार से छः मौतें रोजाना बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हो रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वायरल रिसर्च सेंटर को पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान की जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने भी इस संबध में केन्द्र और प्रदेश सरकार को सितम्बर, 2007 में डायरेक्शन दी थी कि दोनों उसे आर्थिक मदद देकर उच्च क्षमता का शोध केन्द्र गोरखपुर में स्थापित करें।

मेरी तीसरी मांग यह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के

तहत जो पैसा उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, उसमें इनसिफिलाइटिस उन्मूलन के लिए भी अलग से राशि प्रदान की जाए।

मेरी चौथी मांग है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जे.ई. गोरखपुर में स्थापित करने के लिए सरकार कदम उठाये।

मेरी पांचवीं मांग है कि इनसिफिलाइटिस से बचाव एवं रोकथाम के लिए व्यापक जन-जागरण हेतु सरकार कदम उठाये।

सभापति महोदय : इस बार आपका भाषण बहुत् प्रभावी हो रहा है।

योगी आदित्यनाथ : मेरी छठी मांग है कि इनसिफिलाइटिस से प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति एवं दवा के छिड़काव के संबंध में सरकार कार्रवाई करे।

मेरी सातवीं मांग है कि इनसिफिलाइटिस से जो बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हुए हैं, उन बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में खोलने का आश्वासन सरकार ने दिया था, उसे तत्काल प्रारंभ किया जाए।

सभापति महोदय : श्री कमल किशोर जी, आप बोलिये, लेकिन बोलने के बाद जाएं नहीं, बैठे रहें।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है और नेपाल से आने वाली बाढ़ का पूरा पानी बहराइच से होकर गुजरता है। वहां पानी आने के बाद तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे वहां के मवेशियों से लेकर व्यक्तियों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है तथा वहां जो भी विकास के काम हुए होते हैं, चाहे मकान का निर्माण हुआ हो या लोगों ने झुग्गी-झोंपड़ी डाली हो, हर साल उन सबकी बर्बादी हो जाती है।

महोदय, उस क्षेत्र में कई प्रकार की झीलें हैं। मेरी यह मांग है कि उन झीलों जैसे बघेल झील, डोलिया झील, बड़ैला झील, जो सेमरी कलकला में मिहीपुरवा के पास है, यदि इन सारी झीलों की सफाई करके पानी का नियंत्रण किया जाए तो वहां से नहरें निकाली जा सकती हैं और उन नहरों का पानी खेतों के प्रयोग के लिए लाया जा सकता है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि शीघ्र ही इसकी पूर्ण व्यवस्था की जाए, ताकि वहां जिन किसानों के घर बह जाते हैं, झुग्गी-झोंपड़ियां बह जाती हैं तथा जो धनराशि, चाहे वह उत्तर प्रदेश सरकार की हो या भारत सरकार हो, उन सबकी बर्बादी होती है, उससे बचाव किया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व का मुद्दा, जो दस साल के अनुभवी चिकित्सकों को उनके अनुभव के आधार पर मान्यता देने संबंधी मुद्दा, सदन में उठाना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे रिटायर्ड कंपाउंडर हैं या आर.एम.पी. की डिग्री अभी बंद कर दी है, लेकिन ऐसे बहुत से आर.एम.पी. टाइप लोग हैं, जो वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी जा रही है। सर्वोच्च सदन लोक सभा और राज्य सभा की पिटीशन कमेटियों ने भी दस साल के अनुभवी चिकित्सकों को उनके अनुभव के आधार पर मान्यता देने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका विषय "इस क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले फिजिशियन्स को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता" है। *[हिन्दी]* आखिर उसकी डिग्री क्या होगी? कौन से फिजीशन्स होंगे?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : यही हम देख रहे हैं, डिग्री किस तरह की होगी। सरकार इसका अध्ययन क्यों नहीं करती है? ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सेवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, समिति बना कर इसका एक अध्ययन कर लें। इस देश में मेडिकल कॉलेजों से प्रतिवर्ष निकलने वाले 46 हजार डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख नहीं करते हैं। हमारे राजस्थान में पीएससी, सीएससी बंद हैं क्योंकि वहां पर डॉक्टरों की हड़ताल है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले लोगों की बात कर रहा हूं, इनको मान्यता देनी है या नहीं देनी है, यह इश्यू नहीं है। इश्यू यह है कि ये काम तो कर ही रहे हैं, इनको कोई चेक भी नहीं कर रहा है, इन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। कुछ तो झोला छाप होंगे। उन झोला छापों को हटाइए। कुछ ऐसे होंगे जो ठीक काम कर रहे होंगे। आप इसका वर्गीकरण करें। मैं इससे संबंधित दूसरा इश्यू जो इससे ही संबंधित है यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल है, मरीज मर रहे हैं इनकी सेवाएं इनमें भी ली जा सकती हैं। सरकार को संवाद बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों से वार्ता कर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई। इसका हल निकालना चाहिए।... *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेघवाल जी, एक साथ दो विषय नहीं जा सकते हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, पिछले एक सप्ताह से लगातार दिल्ली, एनसीआर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण उत्तर भारत ठंड और कोहरे की चपेट में है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड से मौतें हुई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड से 27 मौतें हुई हैं। आपको स्मरण होगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्णय किया था कि यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि आज इस देश की आजादी के इतने वर्षों बाद कोई ठंड से न मरने पाए। उसके बावजूद भी अगर प्रकृति की मार से लोगों की मौत हो रही है तो यह गरीब व्यक्ति की हो रही है। अगर वह व्यक्ति कमाऊ है, जिस पर पूरा परिवार आश्रित है, अगर उसकी मौत के बाद उसके परिवार को राहत नहीं मिलती है, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है कि ठंड की मार उन्हीं पर पड़ती है जो फूंस की झोंपड़ियों में रहते हैं और खुले आसमान के नीचे सोते हैं। कम से कम केंद्र सरकार इस बात के लिए राज्य सरकार से कहे। उत्तर प्रदेश में ठंड से जो मौतें हुई हैं, उनको प्रशासन स्वीकार नहीं करता है कि ये मौतें ठंड से हुई हैं। आपके राज्य में भी जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां पर लोग स्थानीय रूप से चंदा करके उसके क्रिया-क्रम की व्यवस्था करते हैं।

सभापति महोदय : मैंने दूसरा नाम पुकार दिया है, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है।

श्री जगदम्बिका पाल : मैंने सोचा कि आपने शायद सरकार को रिस्पांड करने के लिए कहा है।

सभापति महोदय : अगर संसदीय कार्य मंत्री होते तो रिस्पांड कर भी देते। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी (विजयनगरम) : सभापति महोदय, भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता संबंधी लोक महत्व का एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि कीड़ो द्वारा नष्ट किया गया, लीकेज और ढुलाई आदि अनेक कारणों की वजह से 1346.33 टन क्षतिग्रस्त तथा जारी नहीं किया जाने लायक खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम में 2011-12 के दौरान 1 नवम्बर, 2011 तक पड़ा रहा।

अनेक खाद्यान्न विशेषज्ञों का कथन है कि यदि हमारे पास पर्याप्त भंडारण क्षमता हो तो आधिकारिक तौर पर; 1 अक्तूबर, 2011 को भा.खा.नि. की 33.3 मिलियन टन तथा राज्यों की 29.5 मिलियन टन क्षमता को मिलाकर कुल 62.8 मिलियन टन की भंडारण क्षमता देश में उपलब्ध थी। देश के 51.7 मिलियन टन के खाद्यान्न भंडार की तुलना में 51.7 मिलियन टन थी।

लेकिन यह भंडारण क्षमता देश के राज्यों में बिखरी पड़ी है और 4 राज्यों की जरूरतों, विशेषकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में भा.खा.नि. की भंडारण क्षमता 36 लाख टन है जबकि खाद्यान्न उत्पादन 130 लाख टन है।

रियल स्टेट की बढ़ी हुई कीमतों की चुनौती के मद्देनजर मैं पी.पी.पी. प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना करती हूं। नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मानदंडों को भी निजी भागीदारों के अनुकूल बनाया गया है।

खाद्य सुरक्षा विधेयक के आलोक में, मैं प्रभावी जन वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा के लिए राज्यों की जरूरतों के अनुसार भा.खा.नि. की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चंपारण) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में रक्सौल दूसरा सबसे बड़ा शहर है और वहां शहर के बीच में इंडियन ऑयल का डिपो स्थित है। हम लोगों ने बहुत बार इसके बारे में कहा। जयपुर में जब इंडियन ऑयल डिपो में आग लगी थी, उसमें सैकड़ों लोग मारे गये थे और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, तब सरकार ने यह फैसला लिया था कि हम शहर के भीतर कहीं भी इंडियन ऑयल डिपो नहीं रहने देंगे। यह रक्सौल शहर के बार्डर पर स्थित है और हमेशा हम लोगों को नेपाल की तरफ से यह सूचना आती है कि नेपाल के जो माओवादी हैं, वह इसको डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके और नेपाल के बीच में केवल एक नदी की दूरी है। अगर कोई उस तरफ से भी कुछ करना चाहे तो वह इस इंडियन ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं दो साल पहले से इस चीज को उठा रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ठीक है इसे करेंगे। एक जगह का सलेक्शन भी कर लिया और कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा एक पूरा शहर आज बारूद के ढेर पर स्थित है और केवल हिंदुस्तान की तरफ से ही

उसको डैमेज नहीं किया जा सकता है, नेपाल की तरफ से भी जब भी वहां माओवाद का प्रचार बढ़ता है, जब भी माओवादी वहां से कुछ करना चाहें, हमारे देश के एक पूरे शहर को माओवादी एक साधारण सा एक्शन लेकर खत्म कर सकते हैं। वहीं पर हिंदुस्तान का ड्राइपोर्ट भी है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और उसका पूरे इलाके का ड्राइपोर्ट भी इंडियन ऑयल डिपो के पास ही स्थित है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा कि इंडियन ऑयल डिपो को, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, जो रक्सौल शहर के बीच में है, इसको शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए।

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की हमारी भूमि पर जो संतों की नगरी है, उसके बारे में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद है।

सभापति महोदय : औरंगाबाद में कौन से संत हुए हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, बहुत संत हुए हैं। संत ज्ञानेश्वर जी भी हमारे जिले के ही हैं।

सभापति महोदय : संत नामदेव जी कहां के हैं?

श्री चंद्रकांत खैरे : संत नामदेव जी हमारे यहां के नहीं थे, वे महाराष्ट्र के थे। वे पंजाब में भी गये थे। मैं यह कहूंगा कि हमारी जो संतों की भूमि है, वह बहुत बड़ी भूमि है। हमारे यहां बहुत बड़ा दिगंबर जी का स्थान है, वह श्रीभंजन पहाड़ रत्नापुर के इलाके में है, यानी कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां एक हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीन सरकारी जमीन है, लेकिन वहां उस पहाड़ पर हमारे संत एकनाथ महाराज जी ने 12 साल तपस्या की। उनके गुरू जनार्दन स्वामी जी का भी इससे संबंध था। मैं यह कहूंगा कि यह इतना बड़ा संतों का स्थान होने के बावजूद भी, जब हमारे आदरणीय श्री विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे भैय्यू जी महाराज जी को एक हजार एकड़ जमीन संत नगरी बनाने के लिए दी थी। उन्होंने दो बार इसके आदेश दिये, लेकिन इस सरकार ने उसे रद्द कर दिया। वह क्यों रद्द की, क्योंकि वहां 336 एकड़ जमीन उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ की ब्रांच को देना तय किया है। मैं यह कहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ की ब्रांच हमारे यहां संभाजी नगर, औरंगाबाद में लाने की जरूरत क्या है? हमारे यहां डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ होने के बाद बहुत सी फैकल्टीज वहां हैं। इतनी फैकल्टीज होने के बावजूद वहां इस विद्यापीठ की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरा जिला बहुत सैन्सिटिव है जिस कारण वहां कोई वारदात भी हो सकती है। खुल्दाबाद या रत्नापुर के बाद जो शूलीभंजन पहाड़ है, उसके बाजू में घश्मेश्वर का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। वहां एलोरा की गुफाएं हैं, जहां पर्यटक आते हैं। यही नहीं, वहां भद्रा हनुमान जी का जो मंदिर है, वहां करीब दस लाख लोग हनमुान जयन्ती के दिन आते हैं और हर शनिवार को भी कम से कम दो लाख लोग आते हैं। इतना भक्तिभाव होने के बाद और इतने श्रद्धालु आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वहां आने से डिसटरबैन्स हो जाएगा, लॉ एंड आर्डर बिगड़ जाएगा। आपको पता है कि वहां कई बार सिमी वगैरह का कांड भी हुआ है। वहां महिस्माल का एक पहाड़ है। वहां गिरजा माता का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है यह इतना धार्मिक स्थल होने के बाद वहां विद्यापीठ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना हमारे यहां न करके आप किसी अन्य स्थान पर करें। उनके अध्यक्ष वगैरह भी वहां आए थे, मगर यह स्थान जो चुना गया है, उसका वहां कई लोगों ने विरोध किया है, कई संप्रदायों ने वहां विरोध किया है, कई लोगों ने वहां आंदोलन किया है कि यह जमीन संतों की है। भय्यू महाराज जी वहां संतनगरी बनाने वाले थे। आदरणीय विलासराव देशमुख साहब को मालूम है। वह संतनगरी बनाना चाहते थे, यानी सब संतों का स्थान, जितने भी संत थे – संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव महाराज और जितने संत हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : देशमुख जी अभी भी सक्षम हैं।

श्री चंद्रकांत खैरे : वे सक्षम हैं। सर आप भी उनको निर्देश दीजिए कि अपनी सरकार से कहें।

सभापति महोदय : मैं नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा काफी है।

...(व्यवधान)

श्री चंद्रकांत खैरे : महोदय, वहां संत नगरी में हिन्दू संत तो होंगे ही, लेकिन जो सूफी संत होंगे, उनका भी स्थान होने वाला था लेकिन उसको कैन्सल करके अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। मैंने इस संबंध में सभी को पत्र दिया है। मुख्य मंत्री जी को दो-तीन बार पत्र दिया है, महामहिम गवर्नर साहब को दिया है, कपिल सिब्बल साहब को भी पत्र दिया है, लेकिन कोई जवाब मुझे किसी ने नहीं दिया। अगर उन्होंने वहां अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ की ब्रांच खोलने

[श्री चंद्रकांत खैर]

की कोशिश की तो हमारा बहुत कड़ा विरोध शिव सेना की तरफ से है, वहां की हिन्दू जनता का भी विरोध है, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : खैरे जी, अब आपको निर्देश है कि आप जाएंगे नहीं, अभी बैठेंगे।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय सभापति महोदय, कृपया मुझे इस स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : और आगे आना चाहती हैं तो आ सकती हैं।

श्रीमती रमा देवी : उतना आगे आने की औकात नहीं है। *...(व्यवधान)*

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का 15 वर्ष पुराना शिवहर जिला शुरू से ही नक्सली हिंसा व प्रति हिंसा से प्रभावित जिला रहा है। लगभग सात लाख की जनसंख्या वाला यह बिहार का सबसे गरीब एवं घनी आबादी वाला जिला है जिसका अधिकतम भाग नक्सली हिंसा से प्रभावित रहा है। यहां व्याप्त अशिक्षा एवं बेरोजगारी के कारण भी दिन-प्रतिदिन नक्सलियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विदित हो कि विगत पांच वर्षों में नक्सली हिंसा में दर्जनों नागरिक व पुलिसकर्मी मारे गए हैं तथा अनेको नक्सली वारदात विगत दिनों में भी हुई हैं। उक्त जिला का कुछ क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटे होने के कारण समुचित संसाधन के अभाव में स्थानीय प्रशासन इन नक्सली गतिविधियों को रोकने में असमर्थ है। बिहार सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को बिहार के कई जिलों को उग्रवाद प्रभावित जिलों में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने बिहार के मात्र छः जिलों को उग्रवाद प्रभावित जिला के तहत शामिल किया है। मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करना चाहती हूं कि शिवहर जिला को भी उग्रवाद प्रभावित जिला में शामिल किया जाए जिससे कि इस जिला का सर्वांगीण विकास हो सके तथा यहां के नक्सली समाज को मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध हे कि शिवहर जिला को उग्रवाद प्रभावित जिला में शामिल किया जाए जिससे कि उक्त गरीब जिला में नक्सली हिंसा में कमी के साथ-साथ समुचित विकास संभव हो सके।

सभापति महोदय : कुछ और जिले इनक्लूड हो रहे हैं एलडब्ल्यूई में।

श्रीमती रमा देवी : सीतामढ़ी, मोतिहारी, ये सब जिले हैं।

सभापति महोदय : डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग। महबूब साहब खुद ही बहुत ब्रीफ़ बोलते हैं।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग (अनंतनाग) : धन्यवाद। मैं समझता हूं कि यह वार्निंग है।

सभापति महोदय : नहीं नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग : महोदय, धन्यवाद पूर्व में अक्तूबर, 2010 में भारत सरकार ने तीन इंटरलोक्यूटर्स नामांकित किए थे। उन्हें जम्मू और कश्मीर में चल रहे राजनीतिक अलगाव की जांच का कार्य सौंपा गया था। ऐसा जम्मू और कश्मीर में लगभग हर जगह विशेषकर कश्मीर में सड़कों पर हुए विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ।

महोदय, तीन ख्याति प्राप्त मध्यस्थों को नामांकित किया गया। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने राज्य के सभी तीनों क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया तथा वहां विभिन्न वर्ग के लोगों से बात की। इसके बाद मध्यस्थों ने अक्तूबर, 2011 में माननीय गृह मंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।

सभापति महोदय : यह अंतरिम रिपोर्ट थी या अंतिम रिपोर्ट?

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग : यह अंतिम रिपोर्ट थी। वे समय-समय पर अंतरिम रिपोर्ट सौंपते रहे थे। अक्तूबर, 2011 में उन्होंने अंतिम रिपोर्ट सौंपी ऐसा बताया गया है कि रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को राजनीतिक स्वायत्तता सौपे जाने और क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तर पर शक्तियां प्रदान किए जाने की बात कही गई है।

यह रिपोर्ट देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। पिछले दो महीनों से मैं भारत सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वह इसे सार्वजनिक करें, ताकि इस राज्य में, अन्य राज्यों में तथा देश के अन्य सभी भागों में चर्चा शुरू हो। यह सोचना गलत होगा कि स्थिति सामान्य

है। हमें किसी भी चीज को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। हमें राजनीतिक अलगाव और आंतरिक पहलुओं का पक्का समाधान खोजना चाहिए। बाहरी पहलू भी है लेकिन जहां तक कश्मीर मुद्दे के आंतरिक पहलुओं का संबंध है भारत सरकार को आंतरिक स्तर पर इनका समाधान खोजना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थायी शांति कायम हो सके।

[हिन्दी]

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ आता है। जिला मुख्यालय राजगढ़ के अंतर्गत आने वाली तहसील जीरापुर जो कि लगभग 30 वर्ष पूर्व बन चुकी है व मेरा गृह ग्राम भी इसी तहसील के अंतर्गत आता है। लेकिन दुर्भाग्य से संचार विभाग अभी तक उसे तहसील मुख्यालय मानने को तैयार नहीं है। इसलिए इस तहसील मुख्यालय पर अभी तक एसडीओ (टेलीफोन) की पोस्ट स्वीकृत नहीं की गई है, जिसके कारण मेरे क्षेत्र के इस तहसील के उपभोक्ताओं को टेलीफोन व मोबाइल संबंधी सुविधाओं व शिकायतों के संबंध में लगभग 70 किलोमीटर दूर आना जाना पड़ता है।

महोदय, आज का युग इंटरनेट का युग है, संचार सुविधायें आज जीवन का एक आवश्यक अंग बन चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल भी अपने उपभोक्ताओं को कई प्रकार की सुविधायें सुलभ ढंग से उपलब्ध करा रहा है। विभाग द्वारा ट्रॉफिक कंजेक्शन कम से कम हो इस ओर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में तहसील जीरापुर को अभी तक सेपरेट एसटीडी कोड एलॉट नहीं हो सका है जबकि जिले की अन्य तहसीलों में खिलचीपुर, सारंगपुर, राजगढ़, ब्यावरा, नरसिंह गढ़ में क्रमशः 07370, 07371, 07372, 07374, 07375 एसटीडी कोड क्रियाशील है। इस क्रम में 07373 कोड अभी खाली पड़ा हुआ है, जो कि वर्तमान में संभवतः मेरी जानकारी अनुसार प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी शहर को एलाट नहीं है।

महोदय, इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ की तहसील जीरापुर को सेपरेट एसटीडी कोड 07373 शीघ्र एलॉट करने वे एसडीओ (टेलीफोन) की पोस्ट भी शीघ्र स्वीकृत करने संबंधी समुचित आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय : मिथिलेश जी, आपका नाम इसमें है और पहला नाम है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि मैटर इज सबज्यूडिस। जिस पर आप बोलना चाहते हैं, वह मामला न्यायालय में लंबित है।

श्री मिथिलेश कुमार (शाहजहांपुर) : नहीं महोदय, वह मामला अभी न्यायालय में पहुंचा ही नहीं है।

सभापति महोदय : लेकिन यहां रिमार्क में लिखा है मैटर इज सबज्यूडिस।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, वह सही नहीं है, हम दूसरी बात कहना चाहते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिए।

श्री मिथिलेश कुमार : आदरणीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहता हूं नवम्बर, 1994 की जब मोबाइल सर्विस को चार महानगरों- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई – में सेवा के लिए लाइसेंस दिया गया था। उस समय भारत सरकार ने अधिकतम 4.5 मेगाहर्ट्ज क्युमुलेटिव स्पेक्ट्रम आवंटित किया था। लेकिन वर्ष 2001 में क्युमुलेटिव स्पेक्ट्रम को 4.5 मेगाहर्ट्ज से बढ़ाकर 4.4 + 4.4 मेगाहर्ट्ज कर दिया गया जिससे प्राइवेट ऑपरेटरों को दुगुना फायदा हो गया। इसके लिए न तो कोई प्रक्रिया बनाई गयी और न ही फेरबदल का कोई सरकारी अनुबंध किया गया। जो सरकारी अनुबंध पहले था, यह मामला बिल्कुल इसके विपरीत था जिससे देश को अरबों रुपए का नुकसान हुआ।

इसके साथ यह भी रियायत कर दी गयी थी कि ऑपरेटर अपने फायदे के अनुसार 6.2 + 6.2 मेगाहर्ट्ज तक का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर और अधिक स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो तब हुई है जब बिना किसी सरकारी प्रावधान के वर्ष 2006 में इस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाकर 10.8 + 10.8 मेगाहर्ट्ज कर दिया गया जिससे मोबाइल ऑपरेटरों का कई गुणा फायदा किया गया, लेकिन देश की बहुमूल्य संपदा का ह्रास होता रहा।

सभापति महोदय : यह मामला तो बहुत पुराना है। इसमें तो लिखा जाता है कि जो अविलंबनीय मुद्दे हों।

श्री मिथिलेश कुमार : जी, हां। टू-जी स्पेक्ट्रम तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो असली स्पेक्ट्रम का घोटाला किया गया, उसकी तरफ कोई सरकार नजर में नहीं आ रही है। कभी ये सरकार इधर

[श्री मिथिलेश कुमार]

थी तो कभी ये इधर थे। ये दोनों सरकारों के टाइम पर हुआ है। ये केवल इस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसा नहीं है।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री मिथिलेश कुमार : मैं चाहता हूं कि इस मामले की पूर्णतया जांच कराके 4.5 मेगाहर्ट्ज के आवंटन के बाद 10.8 + 10.8 मेगाहर्ट्ज का इस्तेमाल होने पर सरकार के रुपए का जो नुकसान हुआ है, सरकारी राजस्व का जो घाटा हुआ है, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, एक व्यवस्था आप यह दीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दूसरा मामला नहीं, आपने बहुत विस्तार से बता दिया। इससे अगर दूसरा प्वाइंट है तो फिर मैं एक्सपंज करा दूंगा।

श्री मिथिलेश कुमार : मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोलूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमारे देश को जो नुकसान हुआ है; उस नुकसान की भरपाई के लिए, जिन कंपनियों ने यह नुकसान किया है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और उन्होंने स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल किया गया, मय ब्याज के पूरा पैसा उनसे वसूल किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अंत भला तो सब भला।

[हिन्दी]

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : जी सभापति महोदय, मैं बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था।

सभापति महोदय : मैंने इसीलिए कहा कि 'अंत भला तो सब भला'।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, जो दबा हुआ, पिछड़ा हुआ गरीब आदमी है, हमारे यहां बिहार में लोहार जाति है। लोग कहते हैं कि ''सौ चोट सुनार की तो एक चोट लोहार की'। लोहार जाति लोहा बनाने का काम करती है। उनका महासंघ है। मनोज शर्मा, नेता इसके लिए बराबर लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति में उनका नाम डाल दिया जाए।

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे झारखंड में लोहार को लुहरा भी कहा जाता है। लुहरा जो है, वह ट्राइबल में हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : वे ट्राइबल में हैं। इसीलिए अंग्रेजी में लोहार दिखता है तो उसको लोग लुहरा बोलते हैं। महोदय, बिहार-झारखंड तो पहले एक था। झारखंड में लुहरा ट्राइबल में है और बिहार के लोहार को कह दिया कि आप लोहार हैं, आप अनुसूचित जनजाति में नहीं रहिए। इसलिए उनकी मांग है। केवल लोहार की मांग नहीं है। नोनिया लोग हैं, वे भी गरीब हैं और वहां एनेक्सर-वन में हैं। वे भी कहते हैं कि हमारा नाम अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए। फिर क्यों उसी में भिन्न-भिन्न सब सेक्शन हैं? मल्लाह, कैवर्त्त हैं, बींध हैं, बेलदार हैं, गोंड़ हैं, ये सभी जाति अलग-अलग संघ बनाए हुए हैं और सभी मिलकर एक महासंघ बनाए हुए हैं। सब लड़ रहे हैं। हम लोगों के ऊपर चढ़े हुए हैं कि हमको अनुसूचित जनजाति में करवा दीजिए। हम इसके लिए राज्य सरकार को लिखते हैं, भारत सरकार को लिखते हैं।

सायं 6.00 बजे

इथनोग्राफी होती है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है।

सभापति महोदय, मैं इतिहास बताता हूं। इन सभी जातियों के लिए जिस समय में सन् 1981 से 1984 तक गृह विभाग में ट्राइबल पहले अलग विभाग नहीं था, सोशल जस्टिस अलग नहीं था, गृह विभाग में शामिल था उस समय लिखा-पढ़ी हुई थी। राज्य सरकारों से जानकारी ली गई थी, मांगी गई थी। ये सभी कागज, पत्र हैं। श्री जी. कृष्णन ज्वाइंट सैक्रेट्री थे। उन्होंने लिखा-पढ़ी की थी कि इन जातियों में राज्य सरकार का क्या कहना है। राज्य सरकार भी, जो समाज अध्ययन संस्थान है, उन सभी से राय करती है। रांची में समाज अध्ययन संस्थान है। बिहार में भी अनुगृह समाज अध्ययन संस्थान है। इथनोग्राफी में अंग्रेजी राइटर ने भी लिखा है, ये जातियां ट्राइबल में पुराने जमाने में थीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से तांती, ततवा, गरेड़िया,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रघुवंश बाबू, हम लोगों ने छः बजे तक के लिए टाइम तय किया था, अगर आपने लम्बा बोलना हो तो हम टाइम बढ़ा दें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। गरेड़िया, जो भेड़ चराने वाली जाति

है, उन्हें पाल बोलते हैं। कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन का काम करते हैं। तुरहा, धानु, सभी जातियों का संघ और महासंघ बना कर ये कहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति में डाला जाए। पहले हमने जो कहा, वे कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति में डाला जाए। राज्य सरकार भी कभी लिख देती है, कभी नहीं लिखती है। ये लोग बड़ी संख्या में हैं और बहुत दबे हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी ढंग से पीछे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी जातियों के संघों के महासंघों को, नेताओं को बुला कर जानकारी ली जाए। इथनोग्राफी कराई जाए। समाज अध्ययन संस्थान से जांच कराई जाए और राज्य सरकार से जवाब-तलब करके इन सभी जातियों को, इनकी जो अनुसूचित जाति, जनजाति में डालने की मांग है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में डालने से इनका बड़ा भारी कल्याण होगा। उधर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, वे पिछड़ी जाति का हिस्सा ले लेते हैं, इन्हें इनका हिस्सा नहीं मिलता। इसीलिए इन सभी को ट्राइबल में लेने की जो मांग करते हैं और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति में मांग करते हैं, उनकी मांग के संबंध में हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि लिखा-पढ़ी और प्रोएक्टिव हो करके दबे हुए समुदाय के लिए कल्याण का काम करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मंगलवार, 27 दिसंबर, 2011 पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 दिसंबर, 2011/ 6 पौष, 1933 (शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2011 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।